राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 94वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 94वीं बैठक दिनांक 14/02/2020 को 03:00 बजे श्री भोगी लाल सरन, अध्यक्ष, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्य उपस्थित थे:-

1. डॉ. समीर बाजपेयी, सदस्य, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण
2. सुश्री संगीता पी., सदस्य सचिव, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण

बैठक के प्रारंभ में तकनीकी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-1 — **दिनांक 13/01/2020 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।**

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की 93वीं बैठक दिनांक 13/01/2020 को आयोजित की गई थी। प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।

एजेन्डा आयटम क्रमांक-2 — **राज्य स्तर विशेषज्ञ अकन समिति, छत्तीसगढ़ की 305वीं, 306वीं, 307वीं एवं 308वीं बैठक क्रमशः दिनांक 16/01/2020, 17/01/2020, 18/01/2020 एवं 20/01/2020 की अनुशंसा के आधार पर गौण खनिजों / मुख्य खनिजों एवं कंस्ट्रक्शन परियोजना संबंधी प्रकरणों के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **मेसर्स श्री शशिकांत तिवारी (केपी आर्डिनरी स्टोन माईन), ग्राम-केपी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 929)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 40338/2019, दिनांक 31/07/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित आर्डिनरी स्टोन (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम-केपी, तहसील-लुण्ड्रा, जिला-सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल-1.423 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 11,700.45 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा आर्डिनरी स्टोन खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत केंपी का दिनांक 23/01/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्फ्रायरमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 552/खनिज/2019, अंबिकापुर दिनांक 20/05/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 837/खनिज/खा.लि.4/2019 अंबिकापुर, दिनांक 02/07/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।

4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 156/ खनिज/ खा.लि.4/ ई–टेण्डर/ 18 अंबिकापुर, दिनांक 30/01/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि तक थी। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 291वीं बैठक दिनांक 22/08/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 294वीं बैठक दिनांक 18/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/09/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों (एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि नहीं होने के कारण) से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अतिरिक्त समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 991 दिनांक 06/11/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि बाबत पत्र प्राप्ति उपरांत समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय प्रदान करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 08/11/2019 द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशिकांत तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अभाव के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(इ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शशिकांत तिवारी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सरगुजा वनमण्डल, अम्बिकापुर के ज्ञापन क्रमांक /तक.अधि./3842/अम्बिकापुर, दिनांक 07/06/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 0.8 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य से 55 कि.मी. की दूरी पर है।
2. एल.ओ.आई. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4888/खनि02/उ.प.-अनु.निधा./म.क्र. 50/2017 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 16/09/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैधता जारी दिनांक से 6 माह की अवधि अर्थात 28/01/2020 तक है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन 2076 / खनिज / खलि.3 / उ.प. / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18 / 11 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, नहर, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है तथा स्कूल भवन लगभग 60 मीटर की दूरी पर स्थित है।

4. **संशोधित 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2075 / खनिज / खलि.2 / उ.प. / 2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18 / 11 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

5. **संशोधित उत्खनन योजना** – रिवाईज्ड क्वारी प्लान, इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खा.प्र.), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 34 / खनिज / खलि.3 / उत्खनन यो. / 2019–20 अम्बिकापुर, दिनांक 09 / 01 / 2020 द्वारा अनुमोदित है।

6. भूमि आवेदक के नाम पर है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संशोधित फार्म–01, संशोधित पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं संशोधित प्री–फिसिबिलिटी रिपोर्ट की प्रति प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–3,193.02 टन प्रतिवर्ष है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–केपी 1 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–केपी 60 मीटर एवं अस्पताल अम्बिकापुर 11.5 कि.मी. दूर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 9.4 कि.मी. दूर है। गागर नदी 5 कि.मी., मौसमी नाला 0.27 कि.मी. एवं तालाब 0.67 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 5,37,894 टन, माईनेबल रिजर्व 31,268 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 28,141 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.19 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मात्रा 1,763 घनमीटर एवं मोटाई 1 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रशर की स्थापना प्रस्तावित नहीं है। ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन में)
प्रथम	2,974
द्वितीय	2,916
तृतीय	2,678
चतुर्थ	2,901
पंचम	3,193

छटवे	2,792
सातवे	2,704
आठवे	2,785
नौवे	2,726
दसवे	2,471

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंको का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 9.65 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 384 नग एवं स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10,541 वर्गमीटर) क्षेत्र में अतिरिक्त 1172 नग पौधे प्रथम वर्ष में लगाया जाना प्रस्तावित है।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. स्कूल की तरफ 1.05 हेक्टेयर (10541 वर्गमीटर) क्षेत्र छोड़ा जायेगा एवं स्कूल की तरफ से वाहनों का आवागमन नहीं होगा।

15. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:—

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 17.59	2%	Rs. 0.35	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Barbhata	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.65
			Total	Rs. 0.65

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 2075/खनिज/खनि.2/उ.प./2019 अम्बिकापुर, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–कोपी) का रकबा 1.423 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–कोपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल–1.423 हेक्टेयर आर्डिनरी पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,193 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–कोपी, तहसील–लुण्ड्रा, जिला–सरगुजा स्थित खसरा क्रमांक 537/1, 537/3, 537/4, 537/5, 537/15, 537/16 एवं 537/18, कुल क्षेत्रफल–1.423 हेक्टेयर आर्डिनरी पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–3,193 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

2. मेसर्स मौश्वर्या इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (प्रो.–श्री सौरभ राठी), ग्राम–परसुलीडीह, तहसील व जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 960)

ऑनलाईन आवेदन– प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एनडीपी/ 119588/ 2019, दिनांक 11/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–परसुलीडीह, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 28/1–28/4, 28, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपये 92.42 करोड़ होगा।

प्रस्ताव की सामान्य जानकारी –

1. **निकटतम स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

- निकटतम प्राथमिक स्कूल 0.9 कि.मी., अस्पताल 1.9 कि.मी. एवं रेलवे स्टेशन उरकुरा 3.6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 7.2 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.46 कि.मी. दूर है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
- भूमि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए है।
- ग्राम पंचायत टेकारी का दिनांक 02/07/2017 का अभावित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **लैण्ड एरिया स्टेटमेंट –**

S. No.	Area Statement	Details (Square meter)
1.	Total plot area	25,770
2.	EWS (15%) area of other side	3,865.5
3.	Net planning area	29,635.5
4.	Open area	2,809
5.	FSI / FAR	1.25
6.	Permissible BUA (FSI area)	37,044.38
7.	Proposed BUA (FSI area)	36,738.5
8.	Non-FSI area	26,819.5
9.	**Total construction area (FSI+Non-FSI)**	63,558

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 22118, दिनांक 30/10/2018 द्वारा वर्तमान भू-उपयोग कृषि से आवासीय (निगमित) प्रयोजन हेतु रकबा 2.577 हेक्टेयर के लिये विकास अनुज्ञा जारी की गई है।
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आवासीय (निगमित) प्रयोजन हेतु रकबा 2.577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 36738.9 वर्गमीटर के लिये भवन अनुज्ञा जारी की गई है।
5. प्रस्तावित कार्यकलापों की सुविधाओं के उपयोग हेतु अनुमानित कुल 5,773 व्यक्तियों द्वारा किया जाना बताया गया है।
6. परियोजना के अंतर्गत कुल 6 बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जाना है, जिसमें से 6 रेसीडेंशियल बिल्डिंग (G+8 floors), कॉमर्शियल बिल्डिंग (G+2 floors) एवं 1 कम्युनिटी हॉल बिल्डिंग (G+1 floor) होगा, जिसकी ऊंचाई क्रमशः 24 मीटर, 10.95 मीटर एवं 7.3 मीटर होगी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आवासीय (निगमित) प्रयोजन हेतु रकबा 2.577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 36738.8 वर्गमीटर के लिये भवन अनुज्ञा जारी की गई है, जबकि आवेदन में प्रस्तावित कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर के लिये किया गया है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए।

2. आवेदन आवासीय एवं व्यावसायिक प्रयोजन हेतु किया गया, जबकि भवन अनुज्ञा आवासीय प्रयोजन हेतु जारी की गई है। इस संबंध में स्थिति स्पष्ट किया जाए।

3. रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 11/12/2019 में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 303वीं बैठक दिनांक 11/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 11/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सुबोध सोमनी, अधिकृत प्रतिनिधि एवं डिप्टी मैनेजर / ई.आई.ए. को–ऑर्डिनेटर के रूप में मेसर्स इन्वायरो एनालिस्ट्स एण्ड इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री मेहेरुदाय पी. मुजार उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर (छ.ग.) के ज्ञापन क्रमांक 31555, दिनांक 22/07/2019 द्वारा भूखण्ड पर आवासीय (निगमित) प्रयोजन हेतु रकबा 2.577 हेक्टेयर में कुल प्रस्तावित बिल्टअप एरिया 36,738.8 वर्गमीटर के लिये भवन अनुज्ञा जारी होने तथा आवेदन में प्रस्तावित कुल बिल्टअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर होने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह बताया गया है कि भवन निर्माण अनुज्ञा एफएसआई (FSI) बिल्टअप

एरिया अनुसार जारी की गई है। पर्यावरणीय स्वीकृत हेतु आवेदन ई.आई.ए. अधिसूचना अनुसार नॉन-एफएसआई (Non - FSI) बिल्टअप एरिया को सम्मिलित कर किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि प्रस्तावित परियोजना आवासीय प्रयोजन हेतु है। परियोजना में युटिलिटी शॉप हेतु एक बिल्डिंग का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।

3. **वायु प्रदूषण नियंत्रण** – निर्माण के दौरान उत्पन्न फ्युजिटिव डस्ट के नियंत्रण हेतु ग्रीन नेट से ढक कर निर्माण किया जाएगा एवं नियमित जल छिड़काव किया जाएगा।

4. **ठोस अपशिष्ट प्रबंधन** – कंस्ट्रक्शन फेस के दौरान उत्पन्न ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का विवरण निम्नानुसार है:-

Waste	Quantity	Management
Excavated Material	21,080 Cum	Will use in back filling 14756 Cum and rest of the excavated material will be used for leveling and land scapping of 6324 Cum
Empty Cement Bags	2,48,000 Nos	To be sold to vendors
Aggregates	526 Cum	Reuse on site for making road
Scrap	65 Tonnes	To be sold to Authorized recycler
Empty paints cans (20 Lit/ Can)	6,900 Nos	To be sold to vendors
Waste tiles	34,150 Sqft.	Broken pieces will be used for china mosaic water proofing of terraces

- परियोजना के विकासोपरांत ठोस अपशिष्ट के संग्रहण हेतु टू बिन पद्धति अपनायी जाएगी। परियोजना से उत्पन्न कुल ठोस अपशिष्ट की मात्रा 2,622 किलोग्राम प्रतिदिन (बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट 1,594 किलोग्राम प्रतिदिन एवं नॉन-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट 1,028 किलोग्राम प्रतिदिन) होगी। उत्पन्न ठोस अपशिष्टों को बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन-बायोडिग्रेडेबल के अनुसार संग्रहित किया जाएगा। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद बनाने के लिए ऑर्गेनिक वेस्ट कम्पोस्टर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। नॉन-बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को रिसायक्लर को उपलब्ध कराया जाएगा।

5. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – परियोजना हेतु कुल 1,029 घनमीटर प्रतिदिन (फ्रेश वॉटर 470 घनमीटर प्रतिदिन तथा रिसायकल वॉटर 559 घनमीटर प्रतिदिन) की आवश्यकता होगी। घरेलू उपयोग हेतु 470 घनमीटर प्रतिदिन, फ्लशिंग हेतु 246 घनमीटर प्रतिदिन, लेण्ड स्कोपिंग हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लोर वॉशिंग हेतु 290 घनमीटर प्रतिदिन जल का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। वर्षा काल में वृक्षारोपण हेतु जल की आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में 23 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का निस्तारण निकटतम नाले में किया जाना प्रस्तावित है। शेष अवधि में शून्य निस्तारण की स्थिति रखी जाएगी। जल की आपूर्ति नगर निगम रायपुर से की जाएगी। अनुमति हेतु आवेदन किया गया है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण** – दूषित जल की मात्रा 622 घनमीटर प्रतिदिन उत्पन्न होगा। दूषित जल के उपचार हेतु एमबीबीआर आधारित सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 720 घनमीटर प्रतिदिन स्थापित किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंतर्गत बार स्क्रीन, ऑयल एण्ड ग्रीस चेंबर, इक्विलाइजेशन टैंक, फ्लुडाइज्ड एरोबिक बायोरिएक्टर, सेकेण्डरी सेटलिंग टैंक, फिल्टर फीड पम्प-हम्प, मल्टीमेंडिया सैण्ड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर, माइक्रोन बैग फिल्टर, ओजोनेशन, ट्रीटेड वॉटर स्टोरेज टैंक, स्लज होल्डिंग टैंक एवं फिल्टर प्रेस स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। उपचारित दूषित जल की मात्रा 559 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। उपचारित दूषित जल को डिसाइन्फेक्शन कर विभिन्न कार्यों में उपयोग किया जाएगा। फ्लशिंग हेतु 246 घनमीटर प्रतिदिन, लेण्ड स्कैपिंग हेतु 23 घनमीटर प्रतिदिन एवं फ्लोर वॉशिंग हेतु 290 घनमीटर प्रतिदिन उपचारित जल का उपयोग किया जाएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से उत्पन्न स्लज की मात्रा 23 किलोग्राम प्रतिदिन है, जिसका उपयोग खाद बनाने के लिए किया जाएगा।

- **भू-जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेमी क्रिटिकल जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 50 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / आर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान था। केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण के अनुसार स्थल सेमीक्रिटिकल जोन के अंतर्गत आता है, केन्द्रीय भूमि जल प्राधिकरण द्वारा जारी नोटिस दिनांक 01/03/2019 अनुसार Over exploited, critical and semi-critical assessment unit में स्थापित इकाइयों, इंफ्रास्ट्रक्चर यूनिट एवं माइनिंग प्रोजेक्ट्स को भू-जल उपयोग की अनुमति नहीं दिया जाना है, फलस्वरूप परियोजना को औद्योगिक कार्य हेतु भू-जल दोहन की अनुमति नहीं होगी।

- **रेन वॉटर हार्वेस्टिंग** – रेन वॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था के अंतर्गत 14 नग हार्वेस्टिंग पिट (व्यास 3 मीटर एवं गहराई 5 मीटर) निर्मित किया जाएगा। गणना अनुसार पूर्ण रनऑफ को रिचार्ज किए जाने हेतु 10 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट की आवश्यकता है। ओवर फ्लो हेतु अतिरिक्त 4 नग रेन वॉटर हार्वेस्टिंग पिट का निर्माण भी प्रस्तावित है। सभी रिचार्ज स्ट्रक्चर्स इस प्रकार निर्मित किए जाएंगे कि इनमें समान मात्रा में वर्षा जल का बहाव हो सके।

6. **विद्युत खपत** – परियोजना में कंस्ट्रक्शन फेज हेतु 100 के.व्ही.ए. एवं ऑपरेशनल फेज हेतु 1,012 के.व्ही.ए. विद्युत खपत होगी। विद्युत की आपूर्ति छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड से की जाएगी। वैकल्पिक व्यवस्था हेतु 250 के.व्ही.ए. का डी.जी. सेट स्थापित की जाएगी। डी.जी. सेट को एकॉस्टिक इंक्लोजर में स्थापित की जाएगी।

7. **वृक्षारोपण की स्थिति** – हरित पट्टिका क्षेत्रफल 3,361 वर्गमीटर (कुल क्षेत्रफल का 13.04 प्रतिशत) में पौधे रोपित किया जाना प्रस्तावित है।

8. **ऊर्जा संरक्षण उपाय** – परिसर में सभी स्थलों पर एल.ई.डी. लाइट प्रयुक्त किया जाएगा। लेण्ड स्केपिंग एवं ड्राईव–वे में सोलर एल.ई.डी. लाईटिंग सिस्टम प्रस्तावित है।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (Rs. in Crore)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (Rs. in Crore)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Crore)	
Rs. 92.42	2%	Rs. 1.84	Following Activities will be done at near by Govt. Schools 1 Rain Water Harvesting 2 Solar Lighting System 3 Potable Drinking Water Facility 4 Plantation in School	
			Total	**Rs. 1.84**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर **समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से** ग्राम–परसुलीडीह, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 28/1–28/4, 26, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर (36,738.5 वर्गमीटर एफएसआई तथा 26,819.5 वर्गमीटर नॉन–एफएसआई) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–परसुलीडीह, तहसील व जिला–रायपुर स्थित खसरा क्रमांक 24/3, 25/1, 25/2, 25/3, 28/1–28/4, 26, 29/1, 29/2 एवं 27 में प्रस्तावित रेसीडेंशियल एण्ड कॉमर्शियल प्रोजेक्ट का प्लॉट क्षेत्रफल 25,770 वर्गमीटर तथा बिल्टअप क्षेत्रफल – 63,558 वर्गमीटर (36,738.5 वर्गमीटर एफएसआई तथा 26,819.5 वर्गमीटर नॉन–एफएसआई) हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

3. **मेसर्स आरकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर एण्ड कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड एण्ड डी.डी. बिल्डर्स लिमिटेड (अछोली ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर)), ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1008)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46016/2019, दिनांक 07/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 14/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर) (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 780/2, 791, 792, 794, एवं 795/2353, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 71,875 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑर्डिनरी स्टोन (बोल्डर) खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 20/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – तयारी प्लान एवं क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 8723/खनि02/मा.प्ला.अनुमोदन/म.क्र.02/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 18/10/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1804/क/अस्थाई अनुज्ञा/खनि./म.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 25/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य 2 खदाने क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1096/क/अस्थाई अनुज्ञा/ख.लि./म.क्र./2018 महासमुंद, दिनांक 21/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1301 महासमुंद, दिनांक 08/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के वन क्षेत्र से दूरी संरक्षित वन क्षेत्र 9 कि.मी. में कक्ष क्रमांक 22 स्थित है।

6. एन.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1682/क/ख.लि./अस्था.अनु./म.क्र./19 महासमुंद, दिनांक 11/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–अछोली 1.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–अछोली 2.5 कि.मी., अस्पताल तुमगांव 7 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.5 किमी दूरी पर है। महानदी 4 कि.मी. एवं नाला 0.1 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड

एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,40,625 टन, माईनेबल रिजर्व 1,41,250 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,27,125 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 10 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 2 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 2 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019	69,375
2020	71,875

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6.71 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति निकटतम बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1200 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोप्रोफाइल) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धीरज जैन, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जी.जी.एम.एस. से अनुमति उपरांत ही 12 मीटर उत्खनन के लिए सुरक्षित एवं नियंत्रित विधि से ब्लास्टिंग किया जाएगा।
2. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.75	2%	Rs. 1.5	Following activities at Nearby Government School Village-Achholi	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Solar Lighting System	Rs. 0.50
			Plantation work	Rs. 0.50
			Total	**Rs. 1.50**
Note: Potable drinking water facility & tap water arrangment toilet already installed in nearby school village-Achholi.				

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1804/क/अस्थाई अनुज्ञा/खनि/ग.क/2018 महासमुंद, दिनांक 25/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अन्य 2 खदानें क्षेत्रफल 2.15 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) का क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम–अछोली) को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 3.15 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–अछोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 780/2, 791, 792, 794 एवं 795/2353, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर, आर्डिनरी पत्थर (बोल्डर) खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–71,875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–अर्छोली, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 760/2, 791, 792, 794 एवं 795/2353, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर आर्डिनरी पत्थर (बोल्डर) खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–71.875 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

4. **मेसर्स चेतरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड (राजपुर सेण्ड स्टोन क्वारी(ए)), ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1042)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129122/ 2019 दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 87.642 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1150/अस्थायी अनुज्ञा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1148/अस्थायी अनुज्ञा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 989/खनि/अस्थायी अनुज्ञा/2019 धमतरी, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक / मा.वि. / जी. / 3813 धमतरी दिनांक 06 / 08 / 2019 की जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,43,694 टन, माईनेबल रिजर्व 87,659 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 78,893 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.324 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	3,590	1.5	5,385	14,539
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	6,505	1.5	9,457	26,345
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	6,010	1.5	9,015	24,340
प्रथम वर्ष चतुर्थ बेंच	5,535	1.5	8,302	22,417

नोटः तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 800 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।

2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.डी. जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला-उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 747/ खनिज/ उत्खा.यो.अनु./ रेत/ 2019-20 कांकेर, दिनांक 03/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. **संशोधित 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 82/अस्थाई अनुज्ञा/अनु./2020 धमतरी, दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में खदान बी, सी एवं डी, जिसका खसरा क्रमांक 1861 एवं प्रत्येक का रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हुई है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत / संचालित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

3. माननीय एन.जी.टी. प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)

Rs.40	2%	Rs. 0.8	Following activities at Nearby Government School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water facility for toilets	Rs. 0.25
			Fencing & Plantation work	Rs. 0.16
			Total	**Rs. 0.81**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यभार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया –

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 82/अस्थाई अनुज्ञा/अनु/2020 धमतरी, दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में खदान बी, सी एवं डी, जिसका खसरा क्रमांक 1861 एवं प्रत्येक का रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हुई है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत / संचालित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–राजपुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–राजपुर, तहसील–नगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–87.642 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–राजपुर, तहसील–नगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर, साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–87.642 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

5. मेसर्स मेबरॉक्स कंस्ट्रक्शन प्राईवट लिमिटेड (राजपुर सैण्ड स्टोन क्वारी(बी), ग्राम–राजपुर, तहसील–नगरलोड, जिला–धमतरी), अहमदाबाद, गुजरात (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1043)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129166/ 2019, दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल – 1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 84,345.3 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 30/05/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान विथ प्रोग्रेसिव क्वारी क्लोजर प्लान एण्ड इन्वायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1149/अस्थायी अनुज्ञा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1147/अस्थायी अनुज्ञा/अनु/2019 धमतरी, दिनांक 04/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 989/खनि/अस्थायी अनुज्ञा/2019 धमतरी, दिनांक 07/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./जी/3813 धमतरी, दिनांक 06/08/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 500 मीटर से अधिक दूरी पर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–राजपुर 0.5 कि.मी. पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 14 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 30 कि.मी. दूर है। महानदी 1.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 1,32,103 टन, माईनेबल रिजर्व 84,374 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 75,937 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.278 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। ओपन कास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि से

उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्ष	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	गहराई (मीटर)	आयतन (घनमीटर)	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम वर्ष प्रथम बेंच	1,926	1.5	5,385	14,539
प्रथम वर्ष द्वितीय बेंच	6,750	1.5	9,457	26,345
प्रथम वर्ष तृतीय बेंच	6,150	1.5	9,015	24,340
प्रथम वर्ष चतुर्थ बेंच	6,000	1.5	8,302	22,417

नोट: तालिका में दशमलव के बाद के अंकों का राउण्डऑफ किया गया है।

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 10 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति स्वयं के ट्यूब वेल से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 700 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान को अनुमोदन किये जाने के संबंध में जारी पत्र की प्रति प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
3. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री जे.डी. जायसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 749(A)/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 03/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. **संशोधित 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 85/अरपाई अनुज्ञा/अनु/2020 धमतरी, दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में खदान ए. सी एवं डी, जिसका खसरा क्रमांक 1861 एवं प्रत्येक का रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हुई है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत / संचालित अन्य खदानों की संख्या शिफ्र है।

3. माननीय एन.जी.टी. प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.40.40	2%	Rs. 0.80	Following activities at Nearby Government School	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.40
			Running water facility for toilets	Rs. 0.25
			Fencing & Plantation work	Rs. 0.15
			Total	Rs. 0.80

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 85/अरपाई अनुज्ञा/अनु/2020 धमतरी, दिनांक 17/01/2020 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के परिधि में खदान ए. सी एवं डी, जिसका खसरा क्रमांक 1861

एवं प्रत्येक का रकबा 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए भी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हुई है। अतः आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर स्वीकृत / संचालित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–राजपुर) का रकबा 1 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–84.345 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14 / 02 / 2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 1861, कुल क्षेत्रफल–1 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–84.345 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

6. **मेसर्स श्री योगेश चन्द्रनाहू (मुड़ियाडीह सेण्ड माईन, ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद), रेलवे स्टेशन रोड, जिला–महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1050)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 129937 / 2019 दिनांक 07 / 12 / 2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 338, कुल लीज क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है –

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पारीद का दिनांक 28 / 03 / 2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खं.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9663 / खनि02 / रेत(खदान) / न.क्र.325 / 2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 02 / 12 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1670/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1870/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1679/ख.लि./रेत नीलामी/न.क्र./19 महासमुंद, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./4109 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वनक्षेत्र से लगभग 3.5 कि.मी. दूर है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट District Survey Report की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–मुड़ियाडीह 2.5 कि.मी., स्कूल ग्राम–पारिद 2.55 कि.मी. एवं अस्पताल सिरपुर 11 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 23.4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.42 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 1200 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,000 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 775 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 185 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा विस्तृत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश चन्द्राकर, प्रोपराईटर एवं श्री जितेन्द्र चंद्राकर, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत पासीद (ग्राम-मुड़ियाडीह) के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 338, क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर, क्षमता - 48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 105/क/रेत/भ.प्र./2019 महासमुंद, दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्ष 2018 (दिनांक 18/09/2018 से 31/12/2018) में 10,758 घनमीटर एवं वर्ष 2019 (दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019) में 28,558 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 11/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
6. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 29.72	2%	Rs. 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Mudiyadih	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.70
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22
			Total	**Rs. 0.92**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मुड़ियाडीह) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारम्भ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून

के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एसईआईए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री योगेश चन्द्रनाहू, मुड़ियाडीह सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 338, ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री योगेश चन्द्रनाहू, मुड़ियाडीह सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 338, ग्राम–मुड़ियाडीह, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

7. **मेसर्स श्री योगेश चन्द्रनाहू (पारीद सैण्ड माईन, ग्राम–पारीद, तहसील व जिला–महासमुंद), रेलवे स्टेशन रोड, महासमुंद (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1051)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130283/2019 दिनांक 07/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पारीद, तहसील व जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–81,600 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पारीद का दिनांक 28/03/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9664/खनि02/रेत (खदान)/न.क्र.324/2019 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1871/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1871/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 18/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1679/ख.लि./रेत नीलामी/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक/मा.वि./4107 महासमुंद, दिनांक 01/08/2018 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वनक्षेत्र से लगभग 3.5 कि.मी. दूर है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–पासीद 1.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–पासीद 1.5 कि.मी. एवं अस्पताल सिरपुर 10.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 22.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 12.9 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 910 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 81,600 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 625 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 106 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

2. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री योगेश चन्द्रनाहू, प्रोपराईटर एवं श्री जितेन्द्र चंद्राकर, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत वासीद के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल 4.8 हेक्टेयर, क्षमता–48,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 18/09/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। माह अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

3. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 104/क/रेत/न.क./2019 महासमुंद, दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्ष 2018 (दिनांक 18/09/2018 से 31/12/2018) में निरंक एवं वर्ष 2019 (दिनांक 01/01/2019 से 31/12/2019) में 46,310 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 11/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 28.54	2%	Rs. 0.57	Following activities at Nearby Government Medium School Village-Pasid	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.80
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22
			Total	**Rs. 1.02**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सीईआर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की परिधि, रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पासीद) का रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।
3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत सीट अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।
4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया

जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री योगेश चन्द्रनाहू, पारीद सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पारीद, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रेक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री योगेश चन्द्रनाहू, पारीद सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–पारीद, तहसील व जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 4.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 72,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

8. मेसर्स श्री तरूण गांधी आर्डिनरी स्टोन क्वारी, ग्राम–हैदलकोढ़ी, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 933)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए /सीजी/एमआईएन/40438/2019 दिनांक 01/08/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 31/08/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 09/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हैदलकोढ़ी, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532, कुल क्षेत्रफल – 2.024 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 50,000 टन प्रतिवर्ष (31,250 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत हैदलकोढ़ी दिनांक 28/01/2012 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खनि प्रशा.), जिला–रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 1503(3)/खनि

/तीन–1/ख.यो.अनु./2018 रायपुर, दिनांक 24/01/2018 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2552/ख.नि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2552/ख.नि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 17/10/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. लीज डीड श्री तरूण गांधी के नाम पर है, जिसकी अवधि दिनांक 02/06/2012 से दिनांक 01/06/2022 तक स्वीकृत है।

6. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल, जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक /भा.वि./10–1/2249 राजनांदगांव, दिनांक 05/03/2012 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 1.125 कि.मी. दूर है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी डोंगरगांव 15 कि.मी. एवं अस्पताल डोंगरगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 15 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,49,747 टन, माईनेबल रिजर्व 2,89,421 टन एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 2,74,950 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर (0.05 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 12 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 6 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है –

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	50,000
द्वितीय	50,000
तृतीय	50,000
चतुर्थ	50,000
पंचम	50,000

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 8 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति तालाब से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 100 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. पूर्व में अनुमोदित माईनिंग प्लान (खदान से उत्खनन प्रारंभ के समय अनुमोदित माईनिंग प्लान) की प्रति प्रस्तुत की जावे।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान में अनुमोदन से भिन्न क्या माईनिंग लीज क्षेत्र में अथवा / और उत्खनन क्षमता में कभी किसी भी प्रकार की वृद्धि की गई है अथवा नहीं? स्पष्ट की जावे। यदि हाँ तो पूर्ण विवरण दी जावे।
3. भू–प्रवेश अनुमति की प्रति एवं उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि की जानकारी प्रस्तुत की जावे।
4. उत्खनन प्रारंभ करने की तिथि से वर्षवार अद्यतन स्थिति में उत्खनित खनिज की मात्रा की खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जावे।
5. यह स्पष्ट किया जावे कि वर्तमान में उत्खनन संचालित है अथवा बंद? यदि उत्खनन बंद है तो उत्खनन बंद होने की तिथि सहित खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जावे।
6. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
8. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफस) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तरुण गांधी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. माननीय एन.जी.टी., प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 30	2%	Rs. 0.60	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Haidalkodo	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Fencing and Plantation work	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.60**

सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 2552/ख.लि.02/2019 राजनांदगांव, दिनांक 17/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है। आवेदित खदान (ग्राम–हेदलकोडो) का रकबा 2.024 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से कम होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–हेदलकोडो, तहसील–छुरिया, जिला–राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 532, कुल क्षेत्रफल – 2.024 हेक्टेयर साधारण पत्थर खदान (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–50,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा परियोजना में जल की आपूर्ति का स्त्रोत तालाब बताया गया है, जिसमें निम्न बिन्दुओं पर जानकारी स्पष्ट नहीं हो रही है:–

1. तालाब, सार्वजनिक है अथवा निजी स्वामित्व का है?
2. सार्वजनिक तालाब के जल का उपयोग स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भी किया जाता है। अतः परियोजना में तालाब के जल का उपयोग किये जाने से स्थानीय ग्रामीणों के जल की उपलब्धता में कमी होने की संभावना है।
3. तालाब में वर्षा ऋतु में जल का संग्रहण होता है। ग्रीष्म ऋतु के दौरान तालाब के जल स्तर में अत्यधिक कमी अथवा सूख जाने की संभावना है। ग्रीष्म ऋतु में तालाब से जल की आपूर्ति किया जाना उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है। अतः जल की आपूर्ति वैकल्पिक स्त्रोत से किये जाने पर विचार किया जाना आवश्यक प्रतिपादित होता है।

4. यदि जल आपूर्ति हेतु वैकल्पिक स्त्रोत उपलब्ध नहीं है तो सार्वजनिक तालाब होने की दशा में जल की आपूर्ति तालाब से किये जाने के लिए संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुनः परीक्षण कर, उपयुक्त अनुशंसा किये जाने हेतु प्रकरण एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. **मेसर्स श्री भुपेन्द्र कुमार यादव (नारी सेण्ड माईन, ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी), न्यू शांति नगर, नत्थानी अपार्टमेंट नगर, रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1052)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130539/2019 दिनांक 10/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 3449, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,24,797 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैं:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर द्वारा अनुमोदित है। परंतु अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1251/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1249/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एस.ओ.आई., कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 1229/खनिज/निविदा/2019 धमतरी, दिनांक 07/12/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–नारी 0.91 कि.मी., स्कूल ग्राम–नारी 1.35 कि.मी. एवं अस्पताल नवापारा 7.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 6.95 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 920 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 122.35 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,24,797 घनमीटर है। नदीतट के पश्चिमी किनारे में 60 मीटर एवं पूर्वी किनारे में 650 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश अग्रवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री शिवलाल कुलार्य, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 860/खनिज/उत्खा.यो.अनु./रेत/2019–20 कांकेर, दिनांक 06/01/2020 द्वारा अनुमोदित है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./जी/233 धमतरी, दिनांक 17/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से 45 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य से 73 कि.मी. दूर है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 4 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 49.82	2%	Rs. 1.0	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Nari	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.85
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22

			Total	Rs. 1.07

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

1. आवेदित खदान (ग्राम–नारी) का रकबा 4.99 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, नारी सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 3449, ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ़ढ़े (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री भुपेन्द्र कुमार यादव, नारी सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 3449, ग्राम–नारी, तहसील–कुरूद, जिला–धमतरी, कुल लीज क्षेत्र 4.99 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

10. मेसर्स श्री दिव्या उप्पल (बल्दीडीह सेण्ड माईन, ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद), परमहंश वार्ड, मुंगेली (न.पा.), तहसील व जिला–मुंगेली (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1053)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130318/2019 दिनांक 10/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद स्थित खसरा क्रमांक 828, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन जीक नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बल्दीडीह दिनांक 12/08/2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, परंतु अनुमोदित माईनिंग प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1941/क/रेत/न.क्र./2019 महासमुंद, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 1839/ख.लि./रेत नीलामी/2019 महासमुंद, दिनांक 13/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 06 माह हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–सांकरा 0.4 कि.मी., स्कूल ग्राम–सांकरा 0.92 कि.मी. एवं अस्पताल जगदीशपुर 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.35 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 11.2 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 230 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 80.65 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 39,100 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 20 मीटर तक छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. अनुमोदित माईनिंग प्लान का जापक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
3. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र एवं अभयारण्य क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विजय घडल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री जितेन्द्र बंद्राकर, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 9871/खनि02/रेत (खदान)/न.क.326/2019 नया रायपुर अटल नगर, दिनांक 07/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक /पि/78 पिथौरा, दिनांक 17/01/2020 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से 919 मीटर एवं राष्ट्रीय उद्यान/अभयारण्य से 10 कि.मी. से अधिक दूर है।

3. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत बल्दीडीह के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 628, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–महासमुंद द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 19/01/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

4. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के आधार पर विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 106/क/रेत/न.प्र./2019 महासमुंद, दिनांक 17/01/2020 द्वारा प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार वर्ष 2018 (दिनांक 19/01/2018 से 31/12/2018) में निरंक एवं वर्ष 2019 (दिनांक 01/01/2019 से 18/01/2019) में 1,110 घनमीटर रेत का उत्खनन किया गया है।

6. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 14/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

7. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3.2 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

8. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

9. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)

	to be Spent	Activities (in Lakh)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 48.90	2%	Rs. 0.98	Following activities at Nearby Government Middle School Village-Baldidih	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.80
			Potable Drinking Water Facility & maintenance charge for 5 years	Rs. 0.22
			Total	Rs. 1.02

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि स्वीकृत लीज क्षेत्र के उत्तरी दिशा में नदीतट से 10 मीटर दूरी छोड़ते हुये 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र को नॉन-माईनिंग जोन घोषित कर माईनिंग प्लान तैयार किया गया है।

11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। जोक नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-बल्दीडीह) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे - 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बरा, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हांकित क्षेत्र पर वृक्षारोपण किया जाएगा।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 15 वर्ष में विस्तृत माद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवलस (Levels) का मापन किया

जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित चिह्न बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री दिव्या उप्पल, बल्दीडीह सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 628, ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री दिव्या उप्पल, बल्दीडीह सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 628, ग्राम–बल्दीडीह, तहसील–पिथौरा, जिला–महासमुंद, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 39,100 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

11. मेसर्स कन्हनपुरी ब्लैक ग्रेनाईट माईन (श्री विमल लुनिया), ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उ.ब. कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 977)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ को 42074/2019 दिनांक 16/10/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियां होने से ज्ञापन दिनांक 24/10/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित ब्लैक ग्रेनाईट (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कन्हनपुरी, तहसील–नरहरपुर, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 308, कुल क्षेत्रफल – 1.87 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 3766.5 टन प्रतिवर्ष (1395 घनमीटर प्रतिवर्ष) है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र एवं जानकारी – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ब्लैक ग्रेनाईट खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र एवं जानकारी प्रस्तुत की गई है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कन्हनपुरी दिनांक 02/01/2008 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – सेकेण्ड स्कीम ऑफ माईनिंग एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (खनि,प्रशा.), संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1595/एमसीसी/एमपी/एफ नंबर – 05/2015 अटल नगर, दिनांक 30/03/2019 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 398/खनिज/प्रोनाइट/2012 कांकेर, दिनांक 13/08/2014 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की दूरी पर अन्य कोई खदान संचालित एवं रिक्त आवेदित खदान नहीं है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

5. कार्यालय वनपरिक्षेत्र अधिकारी नरहरपुर, परिक्षेत्र नरहरपुर के ज्ञापन क्रमांक लेखा/2019/1376, नरहरपुर, दिनांक 08/11/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र के वन क्षेत्र से दूरी संरक्षित वन क्षेत्र 1 कि.मी. में कक्ष क्रमांक 22 स्थित है।

6. लीज डीड श्री विमल लुनिया के नाम पर है, जो कि 30 वर्षों के लिए दिनांक 02/11/1998 से 01/11/2028 तक की अवधि हेतु है।

7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–कन्हनपुरी 1 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 4 कि.मी. दूर है। महानदी नदी 2.5 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 3,42,700 घनमीटर एवं माईनेबल रिजर्व 1,49,544 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 1,15,893 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट सेमी मेकेनाईस्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की मोटाई लगभग 0.5 मीटर है। बेंच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 6 मीटर है। खदान की संभावित आयु 63 वर्ष है। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है–

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (घनमीटर)
2019–2020	943
2020–2021	1,125
2021–2022	1,125
2022–2023	1,143
2023–2024	1,395

कुल	5.731

11. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत के माध्यम से की जाएगी। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा।

12. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में 1500 नग वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में ही किया जाएगा।

13. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 379, दिनांक 18/06/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का होने तथा मार्च–अप्रैल, 2018 में 30 दिवस के निर्धारित समयावधि में आवेदन नहीं किए जाने के कारण प्रकरण को निरस्त किया गया था। यह स्पष्ट किया जावे कि पूर्व में प्रकरण को निरस्त करने के पूर्व / पश्चात् निर्धारित समयावधि के भीतर तत्समय नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया था अथवा नहीं? वर्तमान में पुनः आवेदन किये जाने की स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रमाणित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी अद्यतन जानकारी / प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।
3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 17/01/2020 द्वारा सूचना दी गयी है कि अपरिहार्य कारणों से समिति के

समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः दिनांक 18/01/2020 के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को दिनांक 18/01/2020 के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

(स) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, प्रोपराईटर एवं सलाहकार के रूप में मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर्स एण्ड कन्सलटेन्ट की ओर से श्री जगमोहन कुमार चंद्रा उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में दिनांक 26/10/2016 को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कांकेर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया गया था। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 369/डी.ई.आई.ए.ए./2018–19, दिनांक 02/08/2018 के माध्यम से प्रस्तुत माईनिंग प्लान एवं ऑनलाईन आवेदन में अपलोड किये गये माईनिंग प्लान में भिन्नता होने के कारण उक्त आवेदन को निरस्त किया गया। चूंकि उल्लंघन प्रकरणों को पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन करने हेतु निर्धारित समयावधि अर्थात 14 मार्च से 13 अप्रैल, 2018 के दौरान पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन विचाराधीन था, अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार 14 मार्च से 13 अप्रैल, 2018 के निर्धारित समयावधि के भीतर राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ में आवेदन नहीं किया जा सका।

2. समिति द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. क्रमांक F.No.22-10/2019-IA.III दिनांक 09/09/2019 के पैरा 8 एवं 9 का अवलोकन किया गया, जिसके अनुसार –

   "8. It is possible that there may be certain category B proposals which were submitted at SEIAA during or prior to the violation window period but not under violation category and later during the appraisal by State Level Expert Appriasal Committee (SEAC) identified as violation proposals.

   9. Now, a decision has been taken in the Ministry that such proposals as mentioned in para (8) above, may considered in terms of provisions of Ministry's Notification dated 14.03.2017 & 08.03.2018 by the SEIAA. It is clarified that only those proposals may be taken up for consideration under this provision which had been submitted to SEAC during the window or prior to it as detailed above."

3. उक्त ओ.एम. कैटेगरी–बी के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों हेतु जारी किया गया है। पूर्व में कैटेगरी–बी के अंतर्गत 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल के गौण खनिज उत्खनन खदानों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) द्वारा तथा 5 हेक्टेयर या उससे कम क्षेत्रफल के गौण खनिज उत्खनन खदानों हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.) द्वारा जारी किये जाने का प्रावधान

था। समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत उक्त ओ.एम. में उल्लेखित एस.ई.आई.ए.ए. को एस.ई.आई.ए.ए. में डी.ई.आई.ए.ए. सम्मलित मानकर विचाराधीन प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु विचार किया गया।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर द्वारा आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि में अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने संबंधी जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. माननीय एन.जी.टी. प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

   a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
   b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया–

1. वर्तमान में प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार इस खदान में 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल का क्लस्टर निर्मित नहीं हो रहा है। यह प्रकरण ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों का उल्लंघन है।

2. परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित की जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के अनुसार उल्लंघन करने वाले प्रकरणों में परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश है–

   "The project proponent shall be required to submit a bank guarantee equivalent to the amount of Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan with Chhattisgarh Environment Conservation Board prior to the grant of EC. The quantum shall be recommended by the SEAC, C.G. and finalized by the SEIAA C.G. The bank guarantee shall be release after successful implementation of the Remediation Plan and Natural and Community Resource Augmentation Plan; and after the recommendation of the concerned Regional Office of the Ministry, the SEAC, C.G. and approval of the SEIAA C.G."

4. विचाराधीन खदान उल्लंघन का प्रकरण है। अतः समिति द्वारा अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्क्वायरी रिपोर्ट

इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) मीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

i. This TOR is being granted on the commitment submitted by the project proponent that during the time window of violation cases to submit the application for grant of Environmental Clearance, the application for grant of Environmental Clearance for this mine project was under consideration before DEAC / DEIAA for appraisal and grant of Environmental Clearence. Project proponent shall submit documents from DEIAA / DEAC / Mining Department that during the time window of violation cases: the project was under consideration before DEAC / DEIAA for appraisal and grant of Environmental Clearence. In case, the project proponent fails to submit these documents, this TOR will be treated as null and void.

ii. Project proponent shall submit revised certificate regarding cluster of mines within 500 meter radius from concerned department. As per revised certificate; if a cluster exceeding 5 ha is formed, then SEAC, Chhattisgarh may direct for conduction of public hearing.

iii. Assessment of ecological damage with respect to air, water, land and other environmental attributes. The collection and analysis of data shall be done by an environmental laboratory duly notified under the environment (Protection) Act 1986, or an environmental laboratory accredited by NABL, or laboratory of a Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) institution working in the field of environment.

iv. Preparation of EMP comprising remediation plan and natural and community resource augmentation plan corresponding to ecological damage assessed and economic benefits derived due to violation. EMP should include all the mines under the cluster.

v. The remediation plan and the natural and community resource augmentation plan to be prepared as an independent chapter in the EIA eport by accredited consultants.

vi. As per O.M. dated 01/05/2018 issued by Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Government of India, proposals regarding Corporate Environment Responsibility (C.E.R.) shall be incorporated.

vii. The Project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirement and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. before grant of ToR / EC. The undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation in future.

viii. In case of violation of above undertaking, the ToR / EC shall be liable to be terminated forthwith.

ix. The Environment Clearance will not be operational till such time the Project Proponent complies with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

x. State Government concerned shall ensure that mining operation shall not commence till the entire compensation levied, if any, for illegal mining paid by the Project Proponent through their respective Department of Mining & Geology in strict compliance of judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors.

xi. Project Proponent shall submit certified yearwise production details and date of mining closure from Mining Department.

xii. Project proponent shall submit revised certificate regarding no establishment of public utilities such as temple, cremation ground, hospital, school, bridge, dam, anicut and water supply source etc. within 200 meter radius from concerned department.

xiii. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.

xiv. Project Proponent shall submit an action plan for plantation around 7.5 meter of mine lease periphery within one year alongwith photographs.

xv. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) (बिना लोक सुनवाई) जारी करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को टर्म्स ऑफ रेफरेन्स (टी.ओ.आर.) जारी किया जाए।

12. सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी, ग्राम–अर्जुनी, तहसील व जिला–बेमेतरा (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 773)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएम/ 93983/ 2019, दिनांक 23/03/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह एक प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–अर्जुनी, ग्राम पंचायत अर्जुनी, तहसील व जिला–बेमेतरा स्थित खसरा क्रमांक 1233, कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन शिवनाथ नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 58,800 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 10/04/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 275वीं बैठक दिनांक 16/04/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री रमेश कुमार निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी एवं श्री आशिष गढ़पाले, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा तत्समय नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. ग्राम पंचायत अर्जुनी दिनांक 13/08/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला–बेमेतरा के द्वारा जारी प्रमाण पत्र दिनांक 04/04/2018 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।

4. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला–बेमेतरा से प्राप्त जानकारी अनुसार रेत खदान की 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

5. माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।

6. समीपस्थ आबादी ग्राम–अर्जुनी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। स्कूल एवं मंदिर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 किलोमीटर है।

7. 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना बताया गया है।

8. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर

9. आवेदन अनुसार रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल की चौड़ाई – 170 मीटर

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 380 मीटर

12. अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 98,000 घनमीटर

13. **पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन की जानकारी:–** इस रेत खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

14. प्रस्तुतीकरण के दौरान खनि निरीक्षक द्वारा बताया गया कि पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत अर्जुनी को खसरा क्रमांक 1233, कुल लीज क्षेत्र 6 हेक्टेयर में रेत उत्खनन क्षमता – 90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु दिनांक 11/01/2016 को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के तहत खदान के समीप ही एनिकट बनने के कारण रेत उत्खनन का कार्य नहीं किया गया। वर्तमान में कुल लीज क्षेत्र 4.9 हेक्टेयर हेतु एनिकट से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर सीमांकित कर नई खदान घोषित की गई है।

15. नदी के किनारे से 10 मीटर छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाएगा। समिति का मत था कि कम से कम 10 प्रतिशत (40 मीटर) नदी के पाट से छोड़कर उत्खनन कार्य किया जाना चाहिए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।

2. उक्त स्थल में वर्तमान में कितनी मोटाई में रेत उपलब्ध है? इस बाबत् वास्तविक खुदाई के आधार पर नाप कर माईनिंग विभाग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 24/06/2019 द्वारा जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 298वीं बैठक दिनांक 19/11/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 834, दिनांक 16/10/2016 द्वारा निम्न जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है:-

   - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में प्री-मानसून (Pre-Monsoon) डाटा दिनांक 04/06/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

   - रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढे (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 3 मीटर है।

   - कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा से प्राप्त संशोधित जानकारी अनुसार घोषित रेत खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

2. उपरोक्त प्रस्तुत जानकारी / दस्तावेज ज्ञापन दिनांक 16/10/2016 द्वारा बिना हस्ताक्षर के प्रेषित किया गया है, जिसमें उत्खनन के संबंध में दिनांक 10/01/2018 तक का उल्लेख एवं रेत की उपलब्धता की जांच हेतु दिनांक 04/06/2019 की जानकारी दी गई है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में उक्त पत्र कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा, जिला-बेमेतरा द्वारा जारी हुआ है अथवा नहीं ? इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने हेतु निर्देशित किया जाए।

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1128/खनि लिपि/2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बेमेतरा के ज्ञापन क्रमांक 1128/खनि. तिपि./2019 बेमेतरा, दिनांक 12/12/2019 द्वारा प्रेषित पत्र में निम्न तथ्य उल्लेखित है–

"वर्तमान में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा रेत खदान हेतु छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम 2019 बनाया गया है, जिसके अनुसार रेत खदान को संबंधित ग्राम पंचायत को न देते हुए रेत खदान का रिवर्स ऑक्शन के माध्यम से नीलामी किये जाने का नियम बनाया गया है। अतः सरपंच ग्राम पंचायत अर्जुनी के द्वारा उक्त रेत खदान का पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन को निरस्त कर नस्तीबद्ध करने का कष्ट करें।"

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आवेदन को नस्तीबद्ध करने हेतु प्रस्तुत अनुरोध पत्र को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये आवेदन को डि–लिस्ट / निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

13. मेसर्स बिहावबोड़ क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (श्री गौतम चंद कांकरिया), ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव (644)

ऑनलाईन आवेदन – पूर्व में प्रपोजल नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 20916/2017, दिनांक 06/11/2017 द्वारा टी.ओ.आर. हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 36672/ 2019, दिनांक 27/05/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु ई.आई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (गौण खनिज) खदान है। खदान खसरा नं. 130, ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव, कुल लीज क्षेत्र 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़) है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 16,000 टन/वर्ष है।

प्रकरण का उल्लंघन संबंधी विवरण:– समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संशोधित अधिसूचना दिनांक 07/10/2014 के अनुसार मुख्य खनिज उत्खनन के सभी प्रकरणों (5 हेक्टेयर से कम लीज क्षेत्र वाले खनिज उत्खनन को भी) में पर्यावरणीय स्वीकृति आवश्यक है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु

परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी रखा गया था, को उल्लंघन की श्रेणी में माना गया है। इस प्रकरण में वर्ष 2017 तक उत्खनन किया गया है। अतः यह उल्लंघन का प्रकरण है।

उल्लंघन का प्रकरण होने के कारण भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. 1030 (अ) दिनांक 08/03/2018 के प्रावधानों के अनुसार इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान आदि तैयार करने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2015 में प्रकाशित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (बिना लोक सुनवाई) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु टीओआर एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/10/2018 द्वारा जारी किया गया।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 29/10/2018 द्वारा परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही करने एवं स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को अनुरोध पत्र प्रेषित किया गया।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019 – समिति द्वारा सत्रावसान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गौतम चंद डाकलिया, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. ग्राम पंचायत भेंडरवानी द्वारा दिनांक 15/10/2003 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्वारी प्लान विथ पर्यावरणीय प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, रायपुर द्वारा (वर्ष 30/10/2010 से 29/10/2035 तक की अवधि हेतु) अनुमोदित है।
3. कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 4268/ख.नि.02/2017 राजनांदगांव दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 4.45 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है।
4. निकटतम आबादी ग्राम–बिहावगोंड 0.5 कि.मी., शहर राजनांदगांव 15 कि.मी., अस्पताल नवागढ़ 4.5 कि.मी., रेलवे स्टेशन राजनांदगांव 18 कि.मी. एवं स्वामी विवेकानंद विमानपत्तन, माना, रायपुर 82 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 10 कि.मी. दूर है। शिवनाथ नदी 10 कि.मी. है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) महासमुंद, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/03/2006 द्वारा भू-प्रवेश एवं खनन कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि लीज डीड श्री गौतम चंद डाकलिया के नाम पर है। लीज डीड 30 वर्षों के लिए 30/10/2005 से 29/10/2035 तक की अवधि हेतु है।

8. कार्यालय वनमंडलाधिकारी, राजनांदगांव वनमंडल, राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 11408, दिनांक 03/11/2003 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र वन क्षेत्र नहीं होने के कारण खनिज क्वार्जाइट एवं सिलिका सैंड का उत्खननपट्टा स्वीकृति किये जाने के संबंध में विभाग की कोई आपत्ति नहीं है। आवेदित क्षेत्र से निकटतम वन क्षेत्र लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

9. जियोलॉजिकल रिजर्व 6,88,000 टन, माईनेबल रिजर्व 6,17,800 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 5,56,020 टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट विधि से उत्खनन किया जाता है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। उत्खनन की वर्तमान गहराई 1.5 से 2 मीटर है। उत्खनन की अधिकतम प्रस्तावित गहराई 6 मीटर होगी। बेंच की ऊंचाई एवं चौड़ाई 3 मीटर है। ड्रिलिंग हेतु जेक हैमर ड्रिल का उपयोग किया जाता है। संचालनालय, जियोलॉजी एण्ड माईनिंग, छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 19/09/2017 द्वारा अनुमोदित क्वारी प्लान (विथ इन्वाइरनमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान) के अनुसार वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

प्रथम पांच वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2006-07	4,175.6
2007-08	7783.61
2008-09	1345.11
2009-10	निरंक
2010-11	निरंक

आगामी वर्षों की उत्पादन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2011-12	निरंक
2012-13	निरंक
2013-14	निरंक

2014–15	निरंक
2015–16	निरंक
2016–17	70
2017–18 (31/12/2017 तक)	10

10. प्रस्तावित कार्य हेतु आवश्यक जल उपभोग की मात्रा 12 किलोलीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन एवं प्लांटेशन 10 किलोलीटर प्रतिदिन, ड्रिलिंग एवं घरेलू उपयोग हेतु 2 किलोलीटर प्रतिदिन) है, जिसका स्त्रोत बोरवेल है। प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव एवं वृक्षारोपण किया जाता है।

11. लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर क्षेत्र (क्षेत्रफल 9,750 वर्गमीटर) में वृक्षारोपण किया जावेगा।

12. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः–** पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस खदान हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है। स्थिति उपर स्पष्ट की गई है।

13. **जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी** – मॉनिटरिंग कार्य नवंबर 2018 से जनवरी 2019 के मध्य किया गया है। 10 कि.मी. के अंतर्गत 8 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर भू–जल गुणवत्ता मापन, 6 स्थानों पर ध्वनि स्तर मापन, 2 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 5 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

14. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पी.एम.$_{2.5}$ 38.41 से 59.49 माईक्रोग्राम/घनमीटर, पी.एम.$_{10}$ 57.65 से 89.49 माईक्रोग्राम/घनमीटर, एसओ$_2$ 5.35 से 17.22 माईक्रोग्राम/घनमीटर तथा एनओ$_{2}$ 9.52 से 24.78 माईक्रोग्राम/घनमीटर पाई गई है। परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता भारतीय मानक के अनुसार है। परिवेशीय ध्वनि स्तर (Day time) 56.4 डीबीए एवं ध्वनि स्तर (Night time) 34.5 डीबीए पाया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर, तदनुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया जाए।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 9 का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया जाए।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाएं।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। साथ ही समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment

Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया जाए।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 675 दिनांक 06/09/2019 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 12/09/2019 द्वारा जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(स) समिति की 295वीं बैठक दिनांक 19/09/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से परिवेशीय वायु, जल एवं ध्वनि गुणवत्ता में हुए विपरीत प्रभाव का आंकलन कर तदानुसार अध्ययन कर संशोधित रेमेडियल प्लान तथा नेचुरल एण्ड कम्युनिटी आगुमेंटेशन प्लान, इन्वॉयरोमेंट इम्पेक्ट असेसमेंट रिपोर्ट, इन्वॉयरोमेंट मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया।

2. जारी टी.ओ.आर. में दिए गए अतिरिक्त टी.ओ.आर. के बिन्दु क्रमांक 9 के पालन में वनमण्डलाधिकारी, राजनांदगांव वनमण्डल जिला- राजनांदगांव का ज्ञापन क्रमांक /मा.चि./5-29/1408 राजनांदगांव, दिनांक 03/11/2003 प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से लगभग 3 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।

3. उल्लंघन के दौरान सी.एस.आर. एक्टीविटी के तहत् किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।

4. उल्लंघन अवधि में उत्खनन कार्य किए जाने से मिट्टी की गुणवत्ता में परिवर्तन नहीं होने, वृक्षों की कटाई नहीं किए जाने आदि के संबंध में बताया गया की भूमि नॉन-एग्रीकल्चरल होने के कारण उक्त क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मात्रा नहीं पाई गई एवं उनके द्वारा कोई वृक्ष नहीं काटे गये।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 65	2%	Rs. 1.30	Following activities at Nearby Government School Village-Bhendaravani	
			Rain water harvesting	Rs. 0.40
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.30
			Separate toilet for boys & girls will be constructed	Rs. 0.35

			Solar light system, water pumps in village	Rs. 0.25
			Total	**Rs. 1.30**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. **Environmental Compensation** - परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/- रूपये का प्रस्ताव दिया गया है। प्रकरण में उल्लंघन का स्वरूप गंभीर नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उल्लंघन कर केवल 106 टन खनिज का उत्खनन किया गया है। अतः समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिए प्रस्ताव को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में राशि 1,00,000/- रूपये निर्धारित की गई। इसका उपयोग आस-पास के शासकीय स्कूल/महाविद्यालय/संस्थान में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, सोलर पावर की व्यवस्था, पीने योग्य पानी की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना (प्रस्तावित स्कूल/ महाविद्यालय/ संस्थान का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किए जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

2. उपरोक्तानुसार प्रस्ताव तैयार कर 1,00,000/- रूपये की बैंक गारंटी एवं समयबद्ध कार्ययोजना का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर में प्रस्तुत करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया जाए।

तदानुसार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 05/11/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(ए) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए Environment Compensation के रूप में निर्धारित राशि 1,00,000/- रूपये का उपयोग शासकीय प्राथमिक स्कूल, बिहाबथौड़, जिला-राजनांदगांव में रेनवॉटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था एवं वृक्षारोपण किए जाने हेतु विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत की गई है।
2. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नया रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 19/12/2019 द्वारा बैंक गारंटी प्रस्तुत किये जाने की सूचना दी गई।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर, जिला-राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 4268/ख.नि.02/2017 राजनांदगांव दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 4.45 हेक्टेयर स्वीकृत

विद्यमान है। आवेदित खदान (ग्राम–बिहावबोड़) का रकबा 6.88 हेक्टेयर है। इसप्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बिहावबोड़) को मिलाकर कुल रकबा 11.33 हेक्टेयर होने तथा प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का भी होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. Environment Compensation Plan के तहत् निर्धारित कार्य को 06 माह के भीतर पूर्ण किया जाए।
3. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से ग्राम–बिहावबोड़, तहसील व जिला–राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 130, कुल क्षेत्रफल – 6.88 हेक्टेयर (17 एकड़), क्वार्टजाईट एण्ड सिलिका सेंड क्वारी (गौण खनिज) उत्खनन क्षमता–16,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया एवं पाया कि कार्यालय कलेक्टर, जिला–राजनांदगांव के पत्र क्रमांक 4268/ख.नि.02/2017 राजनांदगांव दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर परिधि में कुल 01 खदान रकबा 4.45 हेक्टेयर स्वीकृत / विद्यमान है। आवेदित खदान (ग्राम–बिहावबोड़) का रकबा 6.88 हेक्टेयर है। इसप्रकार आवेदित खदान (ग्राम–बिहावबोड़) को मिलाकर कुल रकबा 11.33 हेक्टेयर का क्लस्टर निर्मित हो रहा है। माननीय एन.जी.टी. प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance

विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से माननीय एन.जी.टी. प्रींसिपल बेंच, नई दिल्ली के उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में प्रकरण पर पुनःविचार हेतु एस.ई.ए.सी. छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

14. मेसर्स श्री पवन कुमार दुर्गम (पेदाकोडेपाल सैण्ड माईन, ग्राम–पेदाकोडेपाल, तहसील व जिला–बीजापुर), डिपो पारा, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1041)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128498/2019, दिनांक 01/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–पेदाकोडेपाल, तहसील व जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 80, कुल लीज

क्षेत्र 4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिनगावल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न की गयी है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत पेदाकोडेपाल दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1444/खनिज/रेत/2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 15/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 775/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने के संबंध में जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 760/कले./खनिज/रे.ख./रि.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–पेदाकोडेपाल 3.5 कि.मी., स्कूल एवं अस्पताल ग्राम–पेदाकोडेपाल 3.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.2 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,20,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारों में औसत 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 301वीं बैठक दिनांक 09/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत किया जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई-मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन कुमार दुर्गम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 13/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परारी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान खनित टेम्परारी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 1019/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 28/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण

पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था –

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पवन कुमार दुर्गम, प्रोपराईटर एवं श्री जीवाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत पेदाकोडेपाल के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 80, क्षेत्रफल 4 हेक्टेयर, क्षमता–40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।
5. खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 160 मीटर, न्यूनतम 80 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 110 मीटर है।
6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 14.5	2%	Rs. 0.29	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Pedakodepal	
			Rain Water Harvesting	Rs. 0.30

			System	
			Running water Facility for Toilets	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 0.50**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मिनगाचल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–पेदाकोड़ेपाल) का रकबा 4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत सिल्ट अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अंत में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री पवन कुमार दुर्गम, पेदाकोड़ेपाल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 80, ग्राम–पेदाकोड़ेपाल, तहसील व जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे

(Excavation pits) से लोडिंग पाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री पवन कुमार दुर्गम, पेदाकोडेपाल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 80, ग्राम–पेदाकोडेपाल, तहसील व जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

15. मेसर्स मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (चिनौरी सेण्ड माईन, ग्राम–चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर), ग्राम–सरोना, तहसील–नरहरपुर, जिला–उ.ब.कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 774)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 94962/2019, दिनांक 03/02/2019। परियोजना प्रस्तावक सरपंच ग्राम पंचायत चिनौरी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 27/03/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 03/04/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चिनौरी, ग्राम पंचायत चिनौरी, तहसील–चारामा, जिला–उ.ब.कांकेर स्थित खसरा क्रमांक 917, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन महानदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 277वीं बैठक दिनांक 14/05/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा विचारोपरांत **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण**:– पूर्व में द्वारा रेत खदान खसरा क्रमांक 917, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 5047 दिनांक 17/03/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दी गयी थी।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 1 वर्ष उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (रिसर्वेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन

परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 25/05/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने हेतु सूचित किया गया था। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से ही गई।

(4) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती गीता मण्डावी, सरपंच एवं श्री कतले सिंह शोरी, सचिव, ग्राम पंचायत सिनोरी एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा प्रकरण की मसली एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। एकत्रित किए गए आकड़े सही नहीं है। अतः वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) की प्रस्तुत जानकारी को मान्य नहीं किया जा सकता है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit)

खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

4. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि समाप्त होने के उपरांत आवेदित खदान को जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा दिनांक 30/05/2018 से दिनांक 29/07/2018 तक की अवधि हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की अर्धवार्षिक रिपोर्ट की जानकारी प्रस्तुत की गई है।

5. पूर्व में राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ के दिनांक 17/03/2016 द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 6 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1.5 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित बाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त 4 बिन्दुओं की जानकारी/दस्तावेज एवं अन्य समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी माह की प्रथम बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री भरत लाल बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। खनि निरीक्षक द्वारा जानकारी दी गई कि सरपंच एवं सचिव प्रस्तुतीकरण हेतु अपरिहार्य कारणों से उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानसून में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
2. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2016 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
3. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाए। साथ ही आगामी बैठक में उक्त वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स प्रस्तुत किये जायें।
4. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल/वृक्षारोपण के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 06/09/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 292वीं बैठक दिनांक 16/09/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी एवं अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 994 दिनांक 05/11/2019 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया गया।

वर्तमान में एल.ओ.आई. धारक मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) द्वारा विचाराधीन प्रकरण को हस्तांतरित करने हेतु अनुरोध पत्र दिनांक 15/11/2019 को प्रस्तुत किया गया है। अनुरोध पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज निम्नानुसार है:–

i. छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी "छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2019" के प्रावधानों अनुसार कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 629/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 13/11/2019 द्वारा मो. अब्दुल गफ्फार (अधिमानी बोलीदार) के नाम से एल.ओ.आई. जारी किया गया है।
ii. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उत्तर बस्तर कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 646/खनिज/ रेत (रिवर्स ऑक्शन)/2019 कांकेर, दिनांक 15/11/2019 द्वारा द्वारा पर्यावरण अनुमति को मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से जारी किए जाने बाबत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत जारी गया है।

(ई) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. सरपंच, ग्राम पंचायत चिनौरी द्वारा प्रस्तुत आवेदन को एल.ओ.आई. धारक मो. अब्दुल गफ्फार मेमन (अधिमानी बोलीदार) के नाम से हस्तांतरित किये जाने के अनुरोध को मान्य किया गया।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर पोस्ट मानसून में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे 1 माह में लगाए जाने की स्थिति फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत किये जावें।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ङ) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बी.एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 10/12/2019 द्वारा सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के आगाह के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ऊ) समिति की 305वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु मो. अब्दुल गफ्फार मेमन, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नक्शा, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 16/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परारी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परारी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः

जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि नदी तट पर 200 नग पौधे रोपित किये गये है। शेष वृक्षारोपण एक माह के भीतर किया जावेगा।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप मे डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक मे प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान मे रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप मे प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) मे आर.एल., को-ऑर्डिनेटस (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप मे टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान मे उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर मे कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. माईनिंग प्लान के हस्तांतरण की प्रति प्रस्तुत किया जाए।

4. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

5. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान मे रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक मे उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ए) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री हरनेक सिंह औजला, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री बी. एल. बंजारे, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध मे ग्राम पंचायत घिनौरी दिनांक 28/02/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1068 / खनिज / रेत / 2017–18 दंतेवाड़ा, दिनांक 21 / 08 / 2019 द्वारा अनुमोदित है। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 936 / खनिज / रेत(रिवर्स ऑक्शन) / 2019 कांकेर, दिनांक 20 / 01 / 2020 द्वारा माईनिंग प्लान का हस्तांतरण मो. अब्दुल गफ्फार मेमन के नाम पर किया गया है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 1245(ई) / खनिज / रेत(मूल) / 2018 कांकेर, दिनांक 15 / 03 / 2018 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 920 / खनिज / रेत(मूल) / 2019–20 कांकेर, दिनांक 15 / 01 / 2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब. कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 629 / खनिज / रेत(रिवर्स ऑक्शन) / 2019 कांकेर, दिनांक 13 / 11 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–चिनौरी 2 कि.मी., स्कूल ग्राम–चिनौरी 2 कि.मी. एवं अस्पताल लखनपुरी 5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 25 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – अधिकतम 240 मीटर, न्यूनतम 221 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 120 मीटर दर्शाई गई है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 75,000 घनमीटर है। नदीतट के बायें किनारे में 70 मीटर से 22 मीटर एवं दायें किनारे में 69 मीटर से 42 मीटर तक छोड़ा गया है।

11. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत चिनौरी के नाम से रेत खदान खसरा क्रमांक 917, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण सम्प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जिला–उ.ब. कांकेर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30 / 05 / 2018 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी की गयी थी।

12. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

13. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

14. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.8 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

15. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

16. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

I.

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)
Rs. 34	2%	Rs. 0.68

II. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का प्रस्ताव (प्रस्तावित स्कूल का नाम, पता एवं कार्यवार खर्च का विवरण) प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार–

S. No.	Particulars	Quantity	Rate (in Rs.)	Amount (in Rs.)
1	Rain Water Harvesting System Facility on Govt School of Village-Chinori (Recharge pit size is 3 ft dia and 10 ft depth with slab, PVC pipe and filter media material)	5	10,000	50,000
2	Potable Drinking Water Facility in Govt School of Village- Chinori	2	15,000	30,000
3	Plantation with Fencing work & running water arrangement for toilets in school	-	-	50,000
	Total			1,30,000

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। महानदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-चिरौनी) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे - 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सकें।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से मो. अब्दुल गफ्फार मेसर्स चिनौरी सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 917, ग्राम-चिनौरी, तहसील-धारगांव जिला-उ.ब.कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये मो. अब्दुल गफ्फार मेमन, चिनौरी सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 917, ग्राम–चिनौरी, तहसील–बारामा, जिला–उ.ब.कांकेर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

16. मेसर्स श्री के. गंगाधर रेड्डी (तारलागुडा सेण्ड माईन, ग्राम–तारलागुडा, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर), दारा पारा, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1023)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46316/2019, दिनांक 16/11/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–तारलागुडा, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 55/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोदावरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,01,175 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोत्तूर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा द्वारा अनुमोदित है। अनुमोदित क्वारी प्लान की जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 773/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 100 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 711/कले./खनिज/रे.ख./रि.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–तारलागुडा 1.42 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–तारलागुडा 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 160 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 85 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,01,175 घनमीटर है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 299वीं बैठक दिनांक 20/11/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. अनुमोदित क्वारी प्लान का जावक पत्र क्रमांक एवं दिनांक संबंधी जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/12/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 302वीं बैठक दिनांक 10/12/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के. गंगाधर रेड्डी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपस्थित होकर सूचना दी गयी है कि दस्तावेज के अभाव के कारण से समिति के समक्ष बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी माह के आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में पूर्व में चाही गई वांछित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के. गंगाधर रेड्डी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा गत्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला–द.ब.दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1434/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 12/कले./खनिज./2020 बीजापुर, दिनांक 03/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) आंकड़ा दिनांक 12/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परारी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान संचयित टेम्परारी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री के. गंगाधर रेड्डी, प्रोपराईटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Tarlaguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गोदावरी नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. आवेदित खदान (ग्राम-तारलागुडा) का रकबा 4.047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 900 नग पौधे – 450 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 450 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों

पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट-मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टुबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट-मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री-मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री के. गंगाधर रेड्डी, तारलागुडा रोण्ड माईन को खसरा क्रमांक 55/1, ग्राम-तारलागुडा, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री के. गंगाधर रेड्डी, तारलागुडा रोण्ड माईन को खसरा क्रमांक 55/1, ग्राम-तारलागुडा, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

17. मेसर्स श्री मनीष सिंह (रेगुडा रोण्ड माईन, ग्राम-रेगुडा, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर), रेस्ट हाउस, पुराना बस स्टैण्ड पारा, तहसील व जिला-बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1024)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46292/ 2019 दिनांक 16/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 25/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम-रेगुडा, तहसील-भोपालपट्टनम, जिला-बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 1/1,

कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,01,175 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मद्राकाली दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, खनि अधिकारी, जिला–द.ब. दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1432/खनिज/उत्ख.यो.अनु./रेत/2019 दन्तेवाड़ा, दिनांक 06/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 772/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर द्वारा आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 714/कले./खनिज/रे.ख./रि.औ./2019 बीजापुर, दिनांक 09/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/व.त.अ./1528 बीजापुर, दिनांक 06/04/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–रेगुवा 0.45 कि.मी. एवं प्राथमिक स्कूल ग्राम–रेगुवा 0.6 कि.मी. है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 180 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 200 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,01,175 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 50 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्पश्चात **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष सिंह, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई–

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।
2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 1020/काले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र

जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 12/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परेरी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परेरी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री मनीष सिंह, प्रोपराईटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:–** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा Pit खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत किया गया है।
4. रेत उत्खनन मैन्युअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Reguda	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–रेगुड़ा) का रकबा 4.047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 900 नग पौधे – 450 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 450 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री मनीष सिंह, रेगुड़ा सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम–रेगुड़ा, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती

का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री मनीष सिंह, रेगुड़ा सैण्ड माईन को खसरा क्रमांक 1/1, ग्राम–रेगुड़ा, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

18. मेसर्स श्री अशोक आलम (चेरपाल सैण्ड क्वारी, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), शांति नगर, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1044)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129010/ 2019, दिनांक 03/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 23, कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन चेरपाल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–50,115 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चेरपाल दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1469/खनिज/रेत/2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 19/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 774/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 21/10/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर द्वारा आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 762/कले./खनिज/रेत/रिओं/2019 बीजापुर, दिनांक 16/10/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–बेरपाल 0.475 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–बेरपाल 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 55 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 75 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 50,115 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक आलम, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई –

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 1021/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 26/12/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

3. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक /भा.वि./6041 बीजापुर, दिनांक 19/11/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर कोई अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/ राष्ट्रीय उद्यान की सीमा स्थित नहीं है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 13/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परारी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परारी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाये।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री अशोक आलम, प्रोपराईटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत चेरपाल के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 23, क्षेत्रफल 3.341 हेक्टेयर, क्षमता–30,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला–बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गढ्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गढ्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु संकल्पनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ. एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.0	2%	Rs. 0.08	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Cherpal	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 1.5 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। चेरपाल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–चेरपाल) का रकबा 3.341 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया

जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री अशोक आलम, चेरपाल रोण्ड माईन को खसरा क्रमांक 23, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 33,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिको द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा मस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री अशोक आलम, चेरपाल रोण्ड माईन को खसरा क्रमांक 23, ग्राम–चेरपाल, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 3.341 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 33,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

19. मेसर्स श्री राजेश सिंह चौहान (मंगलनार सेण्ड माईन, ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर), बाजार पारा, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1018)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 46363/ 2019, दिनांक 13/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 21/11/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 04/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 183, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत मंगलनार दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित / सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा यह खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1435 / खनिज / उत्ख.यो.अनु. / रेत / 2019 दंतेवाड़ा, दिनांक 06 / 11 / 2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 776 / कले. / खनिज / 2019 बीजापुर, दिनांक 21 / 10 / 2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर द्वारा आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा नहीं होने संबंधी जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 765 / कले / खनिज / रे.ख / रि.ओ. / 2019 बीजापुर, दिनांक 16 / 10 / 2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 02 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दन्तेवाड़ा वनमण्डल, जिला–दन्तेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक / क.त.अ. / 85 दन्तेवाड़ा, दिनांक 04 / 01 / 2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य / टाईगर रिजर्व / राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25 / 07 / 2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–मंगलनार 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मंगलनार 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पोल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – औसत 1020 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 80 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 1 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,00,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 10 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12 / 12 / 2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तदनुसार **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान चिन्हांकित / सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति स्त्रोत आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित होने अथवा न होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01 / 05 / 2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13 / 01 / 2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17 / 01 / 2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राजेश सिंह चौहान, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20 / 01 / 2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई

हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री धर्मेन्द्र कुमार मैना, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा भरसक प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:—** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट—मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment	Amount Required for CER	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)

	to be Spent	Activities (in Lakh)	Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Following activities at Nearby Government School Village-Mangalnar	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.62
			Running water arrangement for toilets	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.32
			Total	**Rs. 1.24**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मंगलनार) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,500 नग पौधे – 760 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 750 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर

रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री राजेश सिंह चौहान, मंगलनार सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 183, ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को सम्पन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री राजेश सिंह चौहान, मंगलनार सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 183, ग्राम–मंगलनार, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

20. मेसर्स श्रीमती पद्मा भदौरिया (चन्दूर सेण्ड माईन, ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर), ठाकुर पारा, नकुलनार, तहसील–कुआकोण्डा, जिला–दन्तेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1046)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/129632/2019, दिनांक 05/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्नम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 42/1, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन गोदावरी नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,21,410 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत चन्दूर का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा द्वारा खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं की गई है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1529/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 912/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 914/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, बीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 898/कले./खनिज/रे.ख./रि.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है।

8. निकटतम आबादी ग्राम–चन्दूर 2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–चन्दूर 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कि.मी. दूर है।

9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

10. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 624 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 160 मीटर दर्शाई गई है।

11. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 5 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 3 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,21,410 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 75 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा उक्त खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित होने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(4) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोविन्द भदौरिया, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित बाबत् प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी बीजापुर वनमण्डल, जिला-बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./3632 बीजापुर, दिनांक 26/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 20 कि.मी. की दूरी पर है।

3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 12/12/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परेरी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परेरी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।

5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत

किये जायें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ख) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री गोविन्द भदौरिया, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 5 गड्ढा (Pit)

खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 4.5	2%	Rs. 0.09	Following activities at Nearby Government School Village-Chandur	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.30
			Total	Rs. 0.30

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 3 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। गोदावरी नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–चन्दूर) का रकबा 4.047 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 900 नग पौधे – 450 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 450 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्रीमती पद्मा भदौरिया, चन्दूर सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 42/1, ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्रीमती पद्मा भदौरिया, चन्दूर सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 42/1, ग्राम–चन्दूर, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 4.047 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 60,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

21. मेसर्स श्री बैलराम नाग (मिनगावल सेण्ड क्वारी, ग्राम–मिनगावल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर), हॉस्पिटल पारा, वीर घर के पास, तहसील व जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1047)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 129678/2019 दिनांक 06/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–मिनगावल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 36, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन मिनगावल नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–68,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत गंदामसी का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. उत्खनन योजना – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1530/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 924/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 923/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 894/कले./खनिज/रे.ख./रि.अ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/त.अ./3638 बीजापुर, दिनांक 26/09/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर अभयारण्य/टाईगर रिजर्व/राष्ट्रीय उद्यान स्थित नहीं है। प्रस्तावित क्षेत्र भैरमगढ़ अभयारण्य से 8 कि.मी. दूरी पर स्थित है।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. निकटतम आबादी ग्राम–मंगलनार 0.2 कि.मी. एवं स्कूल ग्राम–मंगलनार 0.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.6 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 50 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 145 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 90 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 68,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे से 40 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 306वीं बैठक दिनांक 17/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चैतराम नाग, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 28/11/2019 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) की जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। सर्वे रिपोर्ट में उपयुक्त टेम्परेरी बेंच मार्क का चयन नहीं किया गया है तथा बिन्दुओं को ग्रिड मैप में प्रदर्शित भी नहीं किया गया है। वर्तमान चयनित टेम्परेरी बेंच मार्क का वर्षा एवं अन्य कारकों से परिवर्तित होना संभावित है। अतः जिससे पुनः रेत सतह का लेवल्स (Levels) लिया जाना संभव प्रतीत नहीं होता है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जाये। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को–ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जाये। ग्रिड मैप में

टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

4. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

6. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री चैतराम नाग, प्रोपराईटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 18/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 4 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की

उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs.20	2%	Rs. 0.40	Following activities at Nearby Government School Village-Gadamali & Mingachal	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Running water arrangement for toilets	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work	Rs. 0.20
			Total	**Rs. 1.0**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। मिनमाचल नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–मिनमाचल) का रकबा 3.4 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,200 नग पौधे – 600 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 600 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही

आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनर्भरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री चैतराम नाग, मिनगाचल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 36, ग्राम–मिनगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री चैतराम नाग, मिनगाचल सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 36, ग्राम–मिनगाचल, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 3.4 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 34,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

22. मेसर्स श्री दिलीप दुबे (कलचा सेण्ड माईन, ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर), संजय गांधी वार्ड, राम मंदिर, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1036)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128109/2019 दिनांक 28/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01,

कुल लीज क्षेत्र 2.9 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–95,200 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कलचा का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।

3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1481/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।

4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1957–डी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान रकबा 2 हेक्टेयर है।

5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1957–बी/खनिज /ख.लि.03 /रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

7. निकटतम आबादी ग्राम–कलचा 1.5 कि.मी., प्राथमरी स्कूल ग्राम–कलचा 1.5 कि. मी. एवं अस्पताल जगदलपुर 8.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.5 कि.मी. दूर है।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 500 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 60 मीटर दर्शाई गई है।

10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 95,200 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 60 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-**

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/01/2020 द्वारा समिति के समक्ष वांछित स्टॉप रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जावें। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जावें। टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावें। ग्रिड मैप में टेम्परारी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक

गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तथानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री दिलीप दुबे, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1903/खनिज/ख.लि.03/रियर्स ऑक्शन(रेत)/2019, जगदलपुर, दिनांक 11/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

2. कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, वनमण्डल जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./299 जगदलपुर, दिनांक 16/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित भूमि वनक्षेत्र से लगभग 38 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान से 38 कि.मी. दूर है।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी

वास्तविक गहराई का मापन कर खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 3 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई लगभग 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लीडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2019 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10	2%	Rs. 0.20	Following activities at Nearby Government Primary School Village-Kalcha	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work with fencing	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1967-डी/खनिज/ख.लि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर दिनांक 19/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित 1 खदान रकबा 2 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-कलचा) का रकबा 2.8 हेक्टेयर है। इसप्रकार आवेदित खदान (ग्राम-कलचा) को मिलाकर कुल रकबा 4.8 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र मे आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री दिलीप दुबे, कलचा सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री दिलीप दुबे, कलचा सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 01, ग्राम–कलचा, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 2.8 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 42,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

23. मैसर्स श्री बरसाल बाजपेयी (बनियागांव सेण्ड माईन, ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावंड, जिला–बस्तर), मेन रोड जगदलपुर, तहसील–जगदलपुर, जिला–बस्तर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1038)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 128245/2019 दिनांक 29/11/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 05/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने

हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 07/12/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावंड, जिला–बस्तर स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 728, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन भसकली नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–40,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बनियागांव का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1480/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 20/11/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1984–डी/खनिज/ख.सि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जगदलपुर, जिला–बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1984–बी/खनिज/ख.सि.03/रेत खदान/2019 जगदलपुर, दिनांक 19/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
7. निकटतम आबादी ग्राम–बनियागांव 1.6 कि.मी., प्राथमरी स्कूल ग्राम–बनियागांव 1.6 कि.मी. एवं जगदलपुर अस्पताल 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 13.3 कि.मी. दूर है।
8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
9. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 500 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 450 मीटर दर्शाई गई है।
10. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 3 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार

खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 40,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 20 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
6. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 16/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 16/01/2020 द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. एल.ओ.आई. संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।
2. लीज सीमा से निकटतम वन क्षेत्र की वास्तविक दूरी संबंधी जानकारी हेतु वन विभाग से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर, वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परेरी बैंच मार्क (Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बैंच मार्क (TBM) में

आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जावे। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जावें।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जावे।

5. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

6. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री बलराम बाजपेयी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बस्तर के ज्ञापन क्रमांक 1902/खनिज/ख.लि.03/रिवर्स ऑक्शन(रेत)/2019, जगदलपुर, दिनांक 11/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।

2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल बस्तर, जिला-जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/क.त.अ./287 जगदलपुर, दिनांक 15/01/2020 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र वन भूमि की सीमा से 3 कि.मी. से 4 कि.मी. एवं राष्ट्रीय उद्यान / अभयारण्य से 82 कि.मी. की दूरी पर है।

3. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-** इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट–मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई मापने के आधार पर, वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर से 3 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

6. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

7. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 10	2%	Rs. 0.20	Following activities at Nearby Government School Village-Baniyagaon	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.50
			Plantation work with fencing	Rs. 0.10
			Total	**Rs. 0.60**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

8. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। भसकाली नदी छोटी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–बनियागांव) का रकबा 2 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर

से अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 1,000 नग पौधे – 500 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 500 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री बसंत बाजपेयी, बनियागांव सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 728, ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावंड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गड्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री बसंत बाजपेयी, बनियागांव सेण्ड माईन को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 728, ग्राम–बनियागांव, तहसील–बकावंड, जिला–बस्तर, कुल लीज क्षेत्र 2 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 20,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

24. मैसर्स श्री सतीश कुमार गुप्ता (तिमेड़ सेण्ड माईन, ग्राम–तिमेड़, तहसील–गोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर), अस्पताल पारा 2, बस स्टैंड, मां

दन्तेश्वरी वार्ड, तहसील–भैरमगढ़, जिला–बीजापुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 1049)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 130017/2019, दिनांक 07/12/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–तिमेड़, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। उत्खनन इन्द्रावती नदी से किया जाना प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,25,000 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत तिमेड़ का दिनांक 20/08/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **चिन्हांकित/सीमांकित** – कार्यालय कलेक्टर, खनिज शाखा से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुसार यह खदान चिन्हांकित/सीमांकित कर घोषित है।
3. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1532/खनिज/उ.यो./2019–20 दंतेवाड़ा, दिनांक 02/12/2019 द्वारा अनुमोदित है।
4. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 916/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 918/कले./खनिज/2019 बीजापुर, दिनांक 27/11/2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, ब्रीज, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
6. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक 896/कले./खनिज/रे.ख./ए.ओ./2019 बीजापुर, दिनांक 25/11/2019 द्वारा जारी की गई, जिसकी अवधि 2 वर्ष हेतु वैध है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, बीजापुर वनमण्डल, जिला–बीजापुर के ज्ञापन क्रमांक/मा.चि./260 बीजापुर, दिनांक 18/01/2016 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार रेत खदान की सीमा से 5 कि.मी. के भीतर इन्द्रावती टाईगर रिजर्व, बीजापुर का बफर जोन क्षेत्र स्थित है।
8. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारूप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
9. निकटतम आबादी ग्राम–तिमेड़ 0.2 कि.मी., स्कूल ग्राम–तिमेड़ 0.25 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.5 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 1.5 कि.मी. दूर है।

10. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

11. आवेदन अनुसार खनन स्थल पर नदी के पाट की चौड़ाई – 480 मीटर तथा खनन स्थल की चौड़ाई – 100 मीटर दर्शाई गई है।

12. आवेदन अनुसार स्थल पर रेत की गहराई – 4 मीटर तथा रेत खनन की प्रस्तावित गहराई – 2.5 मीटर दर्शाई गई है। अनुमोदित माईनिंग प्लान अनुसार खदान में माईनेबल रेत की मात्रा – 1,25,000 घनमीटर है। नदीतट के किनारे में 35 मीटर छोड़ा गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण, तथा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–**

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
3. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
4. खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/01/2020 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 307वीं बैठक दिनांक 18/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 18/01/2020 द्वारा समिति के समक्ष वांछित सर्वे रिपोर्ट एवं अन्य जानकारी / दस्तावेज दिनांक 20/01/2020 को आयोजित बैठक में प्रस्तुत करने हेतु अवसर दिये जाने का अनुरोध किया गया। समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को मान्य किया गया।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था –

1. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर ग्रिड मैप में प्रदर्शित कर प्रस्तुत किये जाये। उक्त लेवल्स (Levels) हेतु कम से कम 2 टेम्परारी बेंच मार्क

(Concreted TBM structure) निर्धारित किये जायें। टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) में आर.एल., को-ऑर्डिनेट्स (Co-ordinates) अंकित किये जायें। ग्रिड मैप में टेम्परेरी बेंच मार्क (TBM) को भी दर्शाकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जायें।

2. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया जाये।

3. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. यदि पूर्व में आवेदित स्थल पर खनन हेतु राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ अथवा जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई हो, तो पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।

5. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।

7. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को खदान में रेत के लेवल्स (Levels) लेने वाले सर्वेयर (Surveyor) के साथ दिनांक 20/01/2020 की आयोजित बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष के माध्यम से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री सतीश कुमार गुप्ता, प्रोपराईटर एवं श्री लीलाधर प्रसाद साहू, खनि निरीक्षक उपस्थित हुए। समिति द्वारा मस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में सरपंच, ग्राम पंचायत तिमेढ़ के नाम से रेत खदान पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 25, क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर, क्षमता-50,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-बीजापुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 30/12/2016 के द्वारा जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु जारी किया गया था।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है। गाद अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में पोस्ट-मानसून (Post-Monsoon) डाटा दिनांक 19/01/2020 को

रेत सतह के लेवल्स (Levels) लेकर, उन्हें खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत सतह की मोटाई जानने के लिए, प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक गड्ढा (Pit) खोदकर उसकी वास्तविक गहराई का मापन कर, खनिज विभाग से प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की गई है। जिसके अनुसार रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर 2 गड्ढा (Pit) खोदकर उसमें रेत सतह की गहराई नापने के आधार पर वर्तमान में रेत की उपलब्ध मोटाई 2.5 मीटर है। रेत की वास्तविक गहराई हेतु पंचनामा भी प्रस्तुत किया गया है।

5. रेत उत्खनन मैनुअल विधि से एवं भराई का कार्य लोडर द्वारा कराया जाना प्रस्तावित है।

6. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:–

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh)
Rs. 31	2%	Rs. 0.62	Following activities at Nearby Government School Village-Timed	
			Rain Water Harvesting System	Rs. 0.62
			Running water facility for toiles	Rs. 0.15
			Potable drinking water facility	Rs. 0.15
			Plantation work with fencing	Rs. 0.32
			Total	**Rs. 1.24**

समिति द्वारा परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किया गया कि सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) का विस्तृत प्रस्ताव एक माह में प्रस्तुत किया जाए।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 2 मीटर की गहराई तक उत्खनन की अनुमति मांगी है। अनुमोदित उत्खनन योजना में उत्खनन किए जाने वाले क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन कार्य एवं तत्संबंधी आंकड़ों का समावेश नहीं किया गया है। इन्द्रावती नदी बड़ी नदी है तथा इसमें वर्षाकाल में सामान्यतः 1.5 मीटर गहराई से अधिक रेत का पुनःभराव होने की संभावना है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–तिमेड) का रकबा 5 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से

अधिक का क्लस्टर निर्मित नहीं होने के कारण यह खदान बी–2 श्रेणी की मानी गयी।

2. प्राथमिकता के आधार पर नदी तट पर कुल 2,000 नग पौधे – 1,000 नग अर्जुन के पौधे तथा शेष 1,000 नग (जामुन, करंज, बांस, आम आदि) पौधे लगाए जायेंगे।

3. परियोजना प्रस्तावक रेत खदान क्षेत्र में आगामी 1.5 वर्ष में विस्तृत गाद अध्ययन (Siltation Study) करायेगा, ताकि रेत के पुनःभरण (Replenishment) बाबत् सही आंकड़े, रेत उत्खनन का नदी, नदीतल, स्थानीय वनस्पति, जीव एवं सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव तथा नदी के पानी की गुणवत्ता पर रेत उत्खनन के प्रभाव की सही जानकारी प्राप्त हो सके।

4. रेत पुनःभरण की स्थिति के आंकलन हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा माह मई 2020 के अन्त में मानसून पूर्व (रेत उत्खनन समाप्त होने के बाद) रेत खदान में पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। इसी प्रकार पोस्ट–मानसून में (रेत उत्खनन प्रारंभ करने के पूर्व माह अक्टूबर) इन्हीं ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन किया जाएगा। पोस्ट–मानसून के आंकड़े दिसम्बर 2020, 2021, 2022 एवं प्री–मानसून के आंकड़े अगस्त 2020, 2021, 2022 तक अनिवार्य रूप से एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रस्तुत किए जायेंगे। रेत सतह के पूर्व निर्धारित ग्रिड बिन्दुओं पर रेत सतह के लेवल्स (Levels) का मापन का कार्य आगामी 3 वर्ष तक निरंतर किया जाएगा।

5. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से श्री सतीश कुमार गुप्ता, तिमेढ़ सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–तिमेढ़, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने की अनुशंसा की गई। रेत की खुदाई श्रमिकों द्वारा (Manually) की जाएगी। रिवर बेड में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। लीज क्षेत्र में स्थित रेत खुदाई गढ्ढे (Excavation pits) से लोडिंग प्वाईंट तक रेत का परिवहन ट्रैक्टर ट्रॉली द्वारा किया जाएगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये श्री सतीश कुमार गुप्ता, तिमेढ़ सेण्ड माईन को खसरा क्रमांक 01, ग्राम–तिमेढ़, तहसील–भोपालपट्टनम, जिला–बीजापुर, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में रेत उत्खनन अधिकतम 1.5 मीटर की गहराई तक सीमित रखते हुए कुल 75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति, जारी दिनांक से 02 वर्ष तक की अवधि हेतु दिये जाने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किया जाए।

25. मेसर्स छोटे कड़मा लाईम स्टोन माईन (मोहम्मद रफीक खान), ग्राम–छोटे कड़मा, तहसील–दरभा (जगदलपुर), जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती

क्रमांक 677) द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनःविचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन मोहम्मद रफीक खान द्वारा उनके विषयांकित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनःविचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होंने संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुनः निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किस आधार पर कम हुई इसे प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 3.97 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अंतर का कारण निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर ने नहीं दिया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान को दर्शायी दूरी में अलग-अलग तिथियों में भेजे प्रतिवेदनों में विषमता का कारण स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

तदानुसार संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को एस.ई.ए.सी. छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 03/08/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गयी।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/ग. अधि./2942 जगदलपुर, दिनांक 12/12/2019 अनुसार खदान की लीज सीमा से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) की निकटतम सीमा की वास्तविक दूरी 4.07 कि.मी. है।
2. राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ आंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के कार्यक्षेत्र में नहीं आने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में

आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

26. मेसर्स छोटे कड़मा लाईम स्टोन माईन (प्रो. श्री रेखचंद जैन), ग्राम–छोटे कड़मा, तहसील–दरभा (जगदलपुर), जिला–बस्तर (सचिवालय की नस्ती क्रमांक 680) द्वारा उनके प्रकरण में दिनांक 25/05/2019 के निर्णय पर पुनःविचार हेतु आवेदन पत्र।

आवेदन श्री रेखचंद जैन द्वारा उनके विषयांकित प्रकरण में लिए निर्णय के पुनःविचार हेतु दिनांक 12/06/2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

- आवेदन में उन्होंने संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 15/11/2018 को प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 6.52 किलोमीटर बताया गया था। पुनः निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 22/11/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4.12 किलोमीटर बताया गया। यह दूरी किस आधार पर कम हुई इसे प्रतिवेदित नहीं किया गया है।
- निदेशक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान द्वारा दिनांक 14/12/2018 माध्यम से प्रेषित जानकारी में कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से खदान की दूरी 4.1 किलोमीटर बताया गया।
- तीनों प्रतिवेदन में अंतर का कारण निदेशक कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर ने नहीं दिया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा सत्रामय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि संचालक, कांगेरवेली राष्ट्रीय उद्यान को दर्शायी दूरी में अलग–अलग तिथियों में भेजे प्रतिवेदनों में विषमता का कारण स्पष्ट करने के लिए पत्र प्रेषित किया जाए।

तदानुसार संचालक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर को एस.ई.ए.सी. छ.ग. के ज्ञापन दिनांक 03/08/2019 द्वारा प्रेषित किया गया।

कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन दिनांक 12/12/2019 द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गयी।

(ब) समिति की 308वीं बैठक दिनांक 20/01/2020:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:–

1. कार्यालय निदेशक, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जगदलपुर के ज्ञापन क्रमांक/ख. अधि./2942 जगदलपुर, दिनांक 12/12/2019 अनुसार खदान की लीज सीमा से कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान (National Park) की निकटतम सीमा की वास्तविक दूरी 4.14 कि.मी. है।

2. राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय उद्यान, खदान से 5 कि.मी. की परिधि में स्थित होने के कारण प्रकरण राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ एवं राज्य स्तर विशेषज्ञ आकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ के कार्यक्षेत्र में नहीं आने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से समिति की अनुशंसा को स्वीकार करते हुये उपरोक्तानुसार भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली में आवेदन करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को निर्देशित करने का निर्णय लिया गया।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3 **कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को ग्राम–तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन के संबंध में निर्णय लिया जाना।**

1. **कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग को ग्राम–तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर के संबंध में पर्यावरणीय सम्मति हेतु मार्गदर्शन बाबत:–**

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1569/ख.नि./2019 कबीरधाम, दिनांक 09/10/2019 द्वारा मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, ग्राम–तालपुर खसरा क्रमांक 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हेक्टेयर क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर खदान के संबंध में प्रस्तुत पर्यावरणीय सम्मति हेतु निम्नानुसार उल्लेख किया गया है:–

मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स दुर्ग, ग्राम–तालपुर ख.क्र. 40/1, 40/2 एवं 41/2, रकबा 2.513 हे. क्षेत्र में स्वीकृत गौण खनिज चूना पत्थर उत्खनि पट्टा दिनांक 30/05/2009 से 29/05/2039 (30 वर्ष) तक के लिए स्वीकृत है। उक्त

स्वीकृत खदान के लिये 76.951 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु पर्यावरणीय सम्मति दिनांक 12/01/2016 से आगामी 05 वर्ष के लिए जारी किया गया था।

पट्टेदार द्वारा गौण खनिज नियमों एवं उत्खनन पट्टा की शर्तों का उल्लंघन किये जाने पर स्वीकृत पट्टा को कार्यालय के आदेश क्रमांक 347/दिनांक 29/05/2018 को प्रतिभूति निक्षेप राशि को समपहृत करते हुए उत्खननपट्टा को पर्यवसित किया गया था। अनावेदक द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध माननीय न्यायालय संचालक भौमिकी एवं खनिकर्म छ.ग. रायपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश अनुसार अनावेदक/पट्टेदार को संशोधित माईनिंग प्लान एवं नवीन पर्यावरणीय सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना है।

अनावेदक/पट्टेदार द्वारा संशोधित/अनुमोदित माईनिंग प्लान के साथ क्षेत्रीय प्रमुख, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मण्डल भिलाई से उक्त खदान के लिए 56.843 मि.टन प्रतिवर्ष उत्पादन हेतु जल एवं वायु सम्मति प्राप्त कर प्रस्तुत किये है।

उक्त के संबंध में नवीन पर्यावरणीय सम्मति के स्थान पर क्षेत्रीय प्रमुख, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं? हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है।

साथ ही मेसर्स गणपति मेटल्स एण्ड मिनरल्स, दुर्ग के पत्र दिनांक 07/11/2019 में उपरोक्त के संदर्भ में दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

(अ) समिति की 304वीं बैठक दिनांक 12/12/2019:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

कार्यालय कलेक्टर (खनिज) कबीरधाम, छत्तीसगढ़ द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई द्वारा जारी जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य किए जाने अथवा नहीं किये जाने हेतु मार्गदर्शन चाहा गया है। चूंकि पर्यावरणीय स्वीकृति तथा जल एवं वायु सम्मति पृथक-पृथक नियमों के तहत भिन्न-भिन्न प्राधिकरण/संस्था द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान है। अतः खदान के लिये ई.आई.ए., 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि जल एवं वायु सम्मति को पर्यावरणीय स्वीकृति मान्य नहीं किया जा सकता है। अतः आवेदक को ई.आई.ए., 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किया जाना होगा।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। प्राधिकरण द्वारा नोट किया गया कि परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 14/02/2020 द्वारा नये तथ्यों का समावेश करते हुये पुनःविचार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। प्राधिकरण द्वारा उक्त नये तथ्यों के आधार पर विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से उक्त आवेदन को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–4 नाम परिवर्तन हेतु प्राप्त आवेदन के संबंध में निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, पो.ऑ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 27)

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर द्वारा मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड के थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट किए जाने हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में "मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" से "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (युनिट–सेंचुरी सीमेंट वर्क्स) पो.ऑ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" नाम परिवर्तन बाबत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/12/2008 द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई थी। मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड द्वारा नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, बेंच मुंबई के आदेश दिनांक 03/07/2019 के माध्यम से मेसर्स सेंचुरी टेक्सटाईल एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का डिमर्जर मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड किए जाने की प्रति, बोर्ड रिज्योलुशन की प्रति, सिक्स ऑफ डॉयरेक्टर की प्रति, उद्योग को छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा जारी संचालन सम्मति/नवीनीकरण की प्रति, मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र तथा उद्योग का पर्यावरणीय स्वीकृति में जारी शर्तों के संबंध में अंडरटेकिंग प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से पूर्व में "मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.ऑ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के पत्र दिनांक 08/12/2008 द्वारा थर्मल पॉवर प्लांट के क्षमता विस्तार 25 मेगावॉट से 27 मेगावॉट हेतु जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नाम परिवर्तन कर, "मेसर्स सेंचुरी सीमेंट लिमिटेड, ग्राम पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" के स्थान पर "मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड (युनिट–सेंचुरी सीमेंट वर्क्स) पो.आ.–बैकुंठ, जिला–रायपुर" करने का निर्णय लिया गया। पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तें नवीन प्रबंधन पर भी बंधनकारी रहेगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में नवीन प्रबंधन के नाम का संशोधन किया जावे।

2. रेत खदान के एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन पर विचार कर निर्णय लिया जाना:–

श्री आशीष सलूजा, विजयापुर कॉलोनी, सीपत रोड, सरकंडा, तहसील व जिला–बिलासपुर (रेत खदान समूह एवं समाहित रेत खदान–महासमुंद F, F-1) रेत खदान के एल.ओ.आई. धारक (अधिमानी बोलीदार) द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को उनके नाम पर हस्तांतरित किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), महासमुंद के ज्ञापन क्र. 121, दिनांक 20/01/2020 द्वारा आशय पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। विचार विमर्श उपरांत प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति एवं अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. कार्यालय कलेक्टर द्वारा जारी रेत खदान को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति को श्री आशीष सलूजा के नाम पर हस्तांतरित करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत की जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स श्री निर्देश दीवान (पोलकर्रा सेण्ड माईन, ग्राम–पोलकर्रा, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद) ग्राम–बाकेल, पो.ऑ.–भानपुरी, तहसील व जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 993) के प्रकरण में लिए गए निर्णय में लिपकीय त्रुटिवश उल्लेखित ग्राम–बाकेल, पो.ऑ.–भानपुरी, तहसील व जिला–बस्तर में सुधार हेतु।

प्रस्ताव का विवरण –

1. यह खदान खसरा क्रमांक 477, कुल लीज क्षेत्र 4.64 हेक्टेयर में प्रस्तावित है।
2. प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 45681/2019, दिनांक 31/10/2019 को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था।

आवेदित प्रकरण पर राज्य स्तर विशेषज्ञ आकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019 तत्पश्चात् राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.) छत्तीसगढ़ की 92वीं बैठक दिनांक 20/12/2019 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था।

उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने का निर्णय लिया गया। राज्य स्तर विशेषज्ञ आकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 300वीं बैठक दिनांक 21/11/2019 एवं राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण(एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ की 92वीं बैठक दिनांक 20/12/2019 में लिये निर्णय में प्रकरण का मेसर्स श्री निर्देश दीवान (पोलकर्रा सेण्ड माईन, ग्राम–पोलकर्रा, तहसील–राजिम, जिला–गरियाबंद) ग्राम–बाकेल, पो.ऑ.–भानपुरी, तहसील व जिला–बस्तर के स्थान पर लिपकीय त्रुटिवश मेसर्स श्री निर्देश दीवान (पोलकर्रा सेण्ड माईन, ग्राम–पोलकर्रा, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद) ग्राम–बाकेल, पो.ऑ.–भानपुरी, तहसील व जिला–दुर्ग का उल्लेख हो गया है।

वर्तमान में श्री निर्देश दीवान ग्राम–बाकेल, पो.आ.–भानपुरी, तहसील व जिला–बस्तर के पत्र दिनांक 10/01/2020 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन के लिए आवेदन किया गया है। इस त्रुटि का निवारण किया जाना है।

प्राधिकरण द्वारा बैठक में विचार – उपरोक्त प्रकरण पर प्राधिकरण की दिनांक 14/02/2020 को संपन्न 94वीं बैठक में विचार किया गया। प्राधिकरण द्वारा नस्ती/पत्र का अवलोकन किया गया। यह पाया गया कि प्रकरण में उल्लेखित खदान की प्रीफिजिबिलिटी रिपोर्ट, फार्म–1एम, अनुमोदित माईनिंग प्लान आदि में खदान ग्राम–पोलकर्रा, तहसील–फिंगेश्वर, जिला–गरियाबंद होना बताया गया है,

जबकि फार्म-2 में खदान ग्राम-पोलकरां, तहसील-राजिम, जिला-गरियाबंद तथा माईनिंग विभाग के द्वारा जारी एल.ओ.आई. में ग्राम-पोलकरां, विकासखण्ड-किरंगुरवर, जिला-गरियाबंद होना बताया गया है। जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के पत्र में लिपकीय त्रुटिवश ग्राम-बाकोल, पो.ऑ.-भनपुरी, तहसील व जिला-दुर्ग का उल्लेख हो गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को अनुमोदित माईनिंग प्लान में वांछित संशोधन कर प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(संगीता पी.)
सदस्य सचिव,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(भोगी लाल सैनी)
अध्यक्ष,
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण
प्राधिकरण, छत्तीसगढ़

(डॉ. समीर बाजपेयी)
सदस्य
राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़